पाठ्यक्रम सूची

1. रेल प्रशासन का संगठनात्मक ढाँचा
2. वाणिज्य विभाग का संगठनात्मक ढाँचा
3. वाणिज्य विभाग के कार्य
4. यात्रा की श्रेणियाँ
5. टिकट और उसके प्रकार
6. टिप्पणी
7. संसद सदस्य हेतु परिचय पत्र सह रेलवे पास, स्पाउज पास, स्वतंत्रता सेनानी कार्ड पास, भूतपूर्व सांसद के लिये पास
8. ड्यूटी पास
9. यात्रा प्रारम्भ करने के नियम
10. यात्रा विराम
11. टिकट का अग्रिम बुकिंग / अग्रिम आरक्षण अवधि
12. टिकट की वैद्यता या उपलब्धता
13. रियायत
14. रेल कर्मचारियों को रियायत
15. कुछ महत्वपूर्ण रियायत
16. सैनिक वारंट, सैनिक प्रमाण पत्र फार्म, सैनिक रियायत फार्म
17. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध
18. यात्रियों को परिवहन के प्रति रेल की जिम्मेदारी
19. कोच या स्पेशल ट्रेन बुक करने का नियम
20. महिला यात्री हेतु आरक्षित सुविधा
21. मुफ्त वास्तुएँ, फ्री एलाउंस
22. लॉगेज की अधिकतम मात्रा जो कम्पार्टमेंन्ट या ब्रेक यान में जा सकता है
23. अधिकतम आयतन का सूटकेश, बक्सा इत्यादि कम्पार्टमेन्ट में ले जाने की माप
24. स्थूल (भारी) वस्तुएँ, न्यूनतम प्रभार्य वजन
25. अवस्थायें जब, फ्री एलाउंस नहीं दिया जाता है

26. *लगेज बुक करने का नियम*
27. *पार्सल बुक करने का नियम*
28. *कुत्ता बुक करने का नियम*
29. *शव की बुकिंग, खटिया की बुकिंग*
30. *लोक शिकायत*
31. *अपने कम्प्युटरीकृत आरक्षित टिकट को जानना*
32. *रेल यात्री, टिकट का रद्दीकरण और किराये की वापसी नियम*
33. *तत्काल सेवा*
34. *गार्ड प्रमाण पत्र*
35. *अन्तर— कार्ड टिकट और पेपर टिकट, इण्डरेल पास और टूरिस्ट कूपन टिकट, कोरा कागज टिकट और अतिरिक्त किराया टिकट, प्लेटफार्म टिकट और प्लेटफार्म परमिट,* MST/QST *और* MVST, *सैनिक जाँच टिकट और सैनिक टिकट,* SPTM *टिकट और* PRS *टिकट, लगेज और पार्सल, धारा* 137 *और धारा* 138
36. *निपर*
37. *आरक्षित या अनारिक्षत टिकट पर बुक लगेज पर वापसी*
38. *कम्प्युटरीकृत कोचिंग वापसी*
39. *कम्प्युटरीकृत आरक्षण व्यवस्था*
40. *इंटरनेट बुकिंग*
41. *यात्री सुविधाएँ*
42. *रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति*

रेल प्रशासन का संगठनात्मक ढांचा
(Organisational Structure of Railway Administration)

रेल प्रशासन को मुख्यतः चार भागों मे बांटा गया है ।

1. रेल मंत्रालय के स्तर पर

(क) रेल मंत्री (Minister for Railways)
(ख) रेल राज्य मंत्री (Minister of State for Railways)

2. रेलवे बोर्ड स्तर पर

रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष के अधीनस्थ पाँच सदस्य एक वित्त आयुक्त होते हैं जो CRB के प्रति जिम्मेवार हैं । पाँच सदस्य इस प्रकार हैं :—

(a) मेम्बर इलेक्ट्रीकल
(b) मेम्बर इंजीनियरिंग
(c) मेम्बर स्टाफ
(d) मेम्बर मेकनिकल
(e) मेम्बर ट्राफिक एवं वित्त आयुक्त

मेम्बर स्टाफ (Member Staff) के अन्तर्गत है :—

(a) डाइरेकटर जेनरल रेलवे स्वास्थ्य सेवा
(b) डाइरेकटर जेनरल आर० पी० एफ०।

रेलवे बोर्ड में मेम्बर ट्राफिक (Member Traffic) वाणिज्य विभाग के मुख्य अधिकारी होते हैं तथा वे CRB के प्रति जिम्मेवार है उनको जिन अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है वे निम्न हैं :—

(a) Addl. Member Traffic
(b) Executive Director (PG), ED(PM), ED(FM), ED(Rates)
(c) Director/Jt. Director
(d) Deputy Director

3. क्षेत्रीय (Zonal) स्तर पर

क्षेत्रीय स्तर पर मुख्या अधिकारी GM होते हैं इनके अधीनस्थ AGM होते हैं। इन्हें निम्न अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है जो वाणिज्य विभाग के कार्यों के प्रति जिम्मेवार है :—

(a) CCM/PHOD
(b) CCM (PM) CCM (FM), CCM (FS), CCM (PS), CCM (Catering)
(c) Dy CCM
(d) SCM
(f) ACM

4. मंडलीय (Divisional) स्तर पर

मंडल स्तर पर मुख्य अधिकारी DRM होते हैं उन्हें निम्न अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है ।

(a) ADRM (b) Sr. DCM
(c) DCM (d) ACM

इसके साथ ही साथ रेलवे के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे 16 जोन में बांटा गया है । तथा इसके साथ उत्पादन इकाई (Production Unit) और अधीनस्थ उपक्रम भी कार्य करती हैं ।

रेलवे के 16 जोन निम्न हैं :—

(i)	CR	(ix)	WR	(xvii)	Kolkata Metro
(ii)	ER	(x)	ECR		
(III)	NR	(xi)	ECOR		
(Iv)	NE	(xii)	NCR		
(v)	NERR	(xiii)	NWR		
(vi)	SR	(xiv)	SWR		
(vii)	SCR	(xv)	WCR		
(viii)	SER	(xvi)	SECR		

भारतीय रेल के उत्पादन इकाई (Production Unit) निम्न हैं :—

(i) CLW
(ii) DLW
(iii) ICF
(vi) RCP
(v) RWF
(vi) DLMW

निम्न संगठन भी रेलवे बोर्ड के अधीन आते हैं :—

(i) RDSO
(ii) CORE
(iii) Metro Railway

भारतीय रेल में निजी क्षेत्र के उपक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है जो उसके कार्य कलापों को उत्कृष्ट बनाने मे मदद करते हैं । जैसे :—

(i) IRCON
(ii) RITES
(iii) CRIS
(iv) CONCOR
(v) IRFC
(vi) KRC
(vii) IRCTC

वाणिज्य विभाग का संगठनात्मक ढांचा
(Organisational Structure of Comml. Deptt.)

1. रेलवे बोर्ड स्तर पर
   (i) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
   (ii) मेम्बर ट्राफिक
   (iii) अतिरिक्त मेम्बर ट्राफिक
   (iv) ED (PG), ED (PM), ED (FM), ED (RATES)
   (v) DIRECTOR/JT. DIRECTOR
   (vi) DEPUTY DIRECTOR

2. वर्तमान समय में वाणिज्य विभाग के लिए क्षेत्रीय स्तर (Zonal Level) में CCM होते हैं जो सामान्यतः IRTS होते हैं । यह क्षेत्रीय स्तर पर प्रमुख होते हैं । जिनके अधीनस्थ बहुत सारे अधिकारी है जो CCM के प्रति जिम्मेवर हैं । इनकी सहायता के लिए SA Grade, JA Grade, Sr. Scale Officer और Asstt. Officer इस प्रकार है जो GM द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं ।

क्षेत्रीय स्तर पर (On Zonal Level)

(a) GM
(b) AGM
(c) CCM/PHOD
(d) CCM(PM), CCM(FM), CCM(FS), CCM(PS), CCM(Catering)
(e) Dy. CCM
(f) Sr. Comml. Manager
(g) ACM

इसी प्रकार मंडलीय स्तर पर भी वाणिज्य विभाग के अधिकारी होते हैं जो DRM के नियंत्रण में होते हैं लेकिन ये सभी CCM के प्रति भी जिम्मेवार होते हैं ।

मंडलीय स्तर पर (On Division Level)

(i) DRM
(ii) ADRM
(iii) Sr. DCM
(iv) DCM
(v) ACM

वाणिज्य विभाग के कार्य
(Function of Commercial Department)

भारतीय रेल में वाणिज्य विभाग ही रेल उपभोक्ता के सीधे सम्पर्क में आता है । रेलवे द्वारा उपलब्ध परिवहन का विक्रय, यातायात का सृजन तथा विकास, यात्री व व्यापारिक समुदाय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना तथा इन संबंधों को बनाए रखना व सामान्य जनता के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना वाणिज्य विभाग का उतरदायित्व है ।

विभाग के कार्य कलाप में दरों, किरायों व अन्य प्रभारों का निर्धारण व यातायात प्राप्तियों की ठीक से वसूली, उसका हिसाब रखना और उसे जमा करना भी शामिल है ।

इसे मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है :—

(1) COACHING

(a) यात्री का बुकिंग – (Booking of Passenger) – यह आरक्षित या अनाराक्षित हो सकता है । जिस हाथ से (Manual) या कंम्प्युटर (Computer) द्वारा बनाया जाता है । आजकल आरक्षित (Reserved) के लिए PRS तथा अनारक्षित (Unreserved) के लिए SPTM/UTS उपलब्ध है।
(b) सामान (Luggage)
(c) पार्सल (Parcel)
(d) अमानती सामान घर (Clock Room & Locker)

(e) टिकट जाँच (Ticket Checking) – टिकट जाँच द्वारा यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है । तथा बिना टिकट पाए जाने पर उन्हें दण्डित किया जाता है ।

(2) माल (Goods)

(a) माल की स्वीकृती (Acceptance of Goods)

(b) माल को भेजना (Carriage/Despatch of Goods)

(c) माल की सुपुर्दगी (Delivery fo Goods)

(3) अन्य कार्य (Other Works)

(a) दर का निर्धारण – यात्री किराया व माल भाड़ा, वसूली व लेखाकंन (Fixation of Rates i.e. Fare & Freight, collection)

इसमें मुख्य भूमिका IRCA का होता है जिसके वाणिज्य समिति के सदस्य सभी Zone के CCM भी होते हैं ।

(b) यात्री सुविधा (Passenger Amenities) – यात्रियों के Traffic के अनुसार उन्हें सुविधा बहाल करने हेतु स्टेशन को सात वर्गों में बांटा गया है जैसे A_1, A,B,C,D, तथा E, F जिसमें उसके वर्ग के अनुसार पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्थाएं विश्रामालय, शौचालय/पेशाब घर, पंखा, स्नान घर, स्टेशन की सजावट इत्यादि शामिल हैं । साथ ही साथ यात्री गाड़ी में भी पीने के पानी, शौचालय, पंखा, खाने की व्यवस्था की जाती है ।

(c) दावा का रोकथाम व निपटारा (Claim Prevention and Settlement)

(d) लोकव्यवहार/लोक शिकायत (Public Complain & Relations)

उपरोक्त कार्यों के अलावा भी वाणिज्य विभाग के बहुत सारे कार्य है जो संक्षिप्त रूप से निम्न हैं ।

(i) Over Charge की वापसी करना ।

(ii) Demurrage and Wharfage की वसूली करना

(iii) नये कम्प्युटरीकृत आरक्षण घर को खोलना

(iv) नया /UTS लगाना

(v) ZRUCC, DRUCC, SRUCC के साथ वार्त्तालाप करना

(vi) City Booking Office, City Booking Agencies, Out Agencies खोलना

(vii) Halt स्टेशन बनाना तथा ठेकेदार की व्यवस्था करना

(viii) खान–पान की देख–रेख

(ix) दावारहित सामान को निपटाना

(x) Marketing and Sales गतिविधियों को बढ़ाना

(xi) साइडिंग समझौता का Dealing करना

(xii) व्यापारिक समुदाय के साथ Credit Facilities बहाल करना जैसे– Credit Note cum Cheque.

(xiii) स्टेशन बकाया की वसूली करना

(xiv) नये गाड़ियों का परिचालन करना ।

(xv) विशेष दर जैसे, Station to Station दर पर, एकमुश्त दर पर सामान की ढुलाई करना इत्यादि ।

यात्रा की श्रेणियाँ
(Classes of Accommodation)

भारतीय रेल में यात्रा की सामान्यतः सात श्रेणियां हैं इनका न्यूनतम दूरी, न्यूनतम किराया, आरक्षण शुल्क, अनूपूरक प्रभार, डेबलपमेन्ट प्रभार एवं टिकट का रंग निम्न प्रकार से है :—

क्र०सं० Sl. No.	श्रेणी Class	न्यूनतम दूरी Minimum Distance	न्यूनतम किराय Minimum Fare	आरक्षण शुल्क Reservation Fare	अनूपूरक प्रभार Super Fast Charge	रंग Colour of Ticket
1.	Peak I AC Lean	300 Km	1047 986	60/-	75/-	White
2.	Peak 2 AC Lean	300 Km	613 593	50/-	45/-	Green
3.	3 AC AC Economy	300 Km	428 458	40/-	45/-	Green
4.	CC	150 Km	205	40/-	45/-	Orange
5.	FC M/Exp. FC (Ord)	100 Km 10 Km	230/- 45/-	50/- 50/-	45/- —	Green Green
6.	SL M/Exp SL (Ord)	200 Km 200 Km	120/- 76/-	20/- 20/-	30/- —	Pink Yellow
7.	2S M/Exp	50 Km	29/-	15/-	15/-	Drab
	2S (Ord) Sub	10 Km	4/-	15/-		Yellow
	N. Sub	15 Km	3/-	15/-		

Note (i) बच्चों के टिकट की अवस्था में न्यूनतम किराया लगता है ।

(ii) PTO या अन्य रियायती टिकट पर न्यूनतम किराया नहीं लागू होता है ।

(iii) Combined Ticket की अवस्था में टिकट का रंग उच्च श्रेणी के अनुसार होता है ।

(iv) PTO पर आरंक्षण शुल्क, अनूपूरक प्रभार नहीं लगता है ।

(v) IA, 2A, 3A में Bed Roll मुफ्त सप्लाई होता है ।

टिकट और उसके प्रकार
(Tickets and Their kind)

टिकट (Ticket) :– सामान्य बोल चाल की भाषा में टिकट का अर्थ कुट या कागज का टुकड़ा जो इसके धारक को गाड़ी या प्लेटफार्म पर आने की अनुमति देता है ।

टिकट रेल प्रशासन द्वारा इच्छुक व्यक्ति को एक निश्चित रकम अदा करने के बाद उस पर अंकित सेवा के उपभोग के लिए अधिकृत करता है । रेल अधिनियम 1989 की धारा के तहत यात्रा करने के पूर्व इसे लेना अनिवार्य है ।

टिकट के प्रकार (Kinds of Ticket)

(i) कार्ड टिकट	यात्रा टिकट	लोकल टिकट	स्टैण्डर टिकट
(ii) पेपर टिकट	अयात्रा टिकट	फॉरेन टिकट	नन स्टैण्डर टिकट
(iii) कम्प्युटर टिकट			

कार्ड टिकट को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है ।

यात्रा कार्ड टिकट	अयात्रा कार्ड टिकट
(i) एकल यात्रा कार्ड टिकट	(ii) प्लेटफार्म टिकट
(ii) वापसी यात्रा कार्ड टिकट	(ii) प्लेटफार्म परमिट
(iii) बच्चा/रियायत टिकट	(iii) आरक्षित टिकट
(vi) नौकर टिकट	(iv) सुपर फास्ट टिकट
(v) मिश्रित टिकट	(v) मेला टेक्स टिकट
(vi) सीजन टिकट	
(vii) चेक सोल्जर टिकट	
(viii) इण्डरेल पास टिकट	
(ix) यात्रा आरक्षण टिकट	

पेपर टिकट को भी यात्रा (Journey) और अयात्रा (Non - Journey) वर्गों में बांटा गया है ।

यात्रा पेपर टिकट (Journey Paper Ticket)

(i) कोरा कागज टिकट
(ii) अतिरिक्त किराया टिकट
(iii) स्पेशल/आरक्षित सुविधा टिकट
(iv) सोल्जर टिकट
(v) पर्यटक कुपन टिकट
(vi) चक्राकार यात्रा टिकट (Circular Journey Ticket)
(vii) स्टैण्डर चक्राकार यात्रा टिकट
(viii) यात्रा विस्तार टिकट
(ix) वापसी यात्रा कागज टिकट
(x) कम्प्युटर मुद्रित टिकट (Computer Printed Ticket)
(xi) अनारक्षित कम्प्युटरीकृत टिकट
(xii) पी० आर० एस० (PRS) टिकट

अयात्रा कागज टिकट निम्न हैं (Non–Journey Paper Ticket)

(i) बेड रोल टिकट
(ii) अमानती सामान घर टिकट
(iii) विश्रामालय टिकट
(iv) सामान (Luggage Ticket) टिकट
(v) (HCDT) हार्स कैरेज एवं डॉग टिकट

कम्प्युटर द्वारा जारी टिकट को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं ।

(I) UTS द्वारा जारी टिकट
(ii) PRS द्वारा जारी टिकट

इसके अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के टिकट के लिए अधिकृत व्यक्ति को उनके विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं जैसे :—

(i) एच० ओ० आर०
(ii) परिचय पत्र सह रेलवे पास सांसद के लिए (ICCRP)
(iii) रेल ट्रेभल कुपन
(iv) मिलिटरी वारंट और रियायत
(v) पुलिस वारंट और जेल मांग पत्र

टिप्पणी (SHORT NOTE)

कार्ड टिकट – (Card Ticket)

(i) यह दो साइज में होता है जिसे स्टैण्डर और नन स्टैण्डर कहते हैं ।
(ii) इसे Indent कर रेलवे प्रेस (AMPS) से मँगाते हैं जिस पर निम्नलिखित आवश्यक विवरण छपा हुआ रहता है ।

प्रारम्भिक स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन का नाम, किराया, दूरी, वरास्ता, टिकट का नम्बर, यात्रा की श्रेणी, गाड़ी का प्रकार इत्यादि ।

(iii) इसे जारी करने के पहले मशीन द्वारा या रबर स्टाम्प द्वारा तारीख छाप दिया जाता है ।
(iv) कार्ड टिकट को बुकिंग खिड़की से जारी किया जाता है ।
(iv) यह जिस रेलवे द्वारा जारी किया जाता है उसका नाम लाल रंग में लिखा रहता है ।
(v) यह जिस रेलवे द्वारा जारी किया जाता है उसका नाम लाल रंग में लिखा रहता है ।
(vi) कार्ड टिकट का रंग यात्रा की श्रेणी के अनुसार होता है ।
(vii) कार्ड टिकट का स्टैण्डर साइज 55x30 MM होता है ।
(viii) इसे यात्री द्वारा मांग करने पर आसानी से जारी किया जा सकता है ।

पेपर टिकट (Paper Ticket)

(i) पेपर टिकट छपा हुआ फार्म के रूप में होता है ।
(ii) यह किताब के रूप में होता है तथा कई पन्नों में रहता है जिसे डबल साइड कार्बन विधि से बनाते हैं ।

(iii) पेपर टिकट जारी करने से पहले इस पर यात्रा का विवरण हाथ से लिखकर भरना होता है । जैसे–यदि प्रारम्भिक स्टेशन छपा नहीं हो तो मुहर द्वारा या हाथ से लिखकर, अंतिम स्टेशन का नाम, दूरी, वरास्ता, यात्रा की श्रेणी, गाड़ी का नाम, किराया इत्यादि । एवं जारी करने वाले का हस्ताक्षर ।

(iv) पेपर टिकट को जारी करने में कार्ड टिकट की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है ।

(v) पेपर टिकट के रख रखाव में आसानी होती है ।

एकल यात्रा टिकट (Single Journey Ticket)

एकल यात्रा टिकट का अभिप्राय प्रारम्भिक स्टेशन से गन्तव्य स्टेशन तक यात्रा करने से है । एकल यात्रा में निम्नलिखित विवरण छपे होते हैं :—

(i) प्रारम्भिक स्टेशन एवं अंतिम स्टेशन का नाम

(ii) यात्रा की श्रेणी

(iii) दूरी

(iv) मेल/एकस्प्रेस अथवा साधारण

(v) टिकट का क्रम संख्या

(vi) यात्रा की तिथि

इस प्रकार के टिकट का व्यवहार जब एक ही जोन के लिए होता है तो इसे Local Ticket कहते हैं ।

जब टिकट का दायरा एक Zone के किसी स्टेशन से शुरू होकर अन्य Zone के स्टेशन पर समाप्त होता है इसे Foreign Ticket कहते हैं । Foreign Ticket की अवस्था में टिकट के सामने लाल रंग के तरंग (Wave) छपा होता है ।

वापसी यात्रा टिकट (Return Journey Ticket)

यह एकल यात्रा टिकट जैसा ही होता है इसके दो भाग होते हैं जिसमें प्रथम भाग में जाने का विवरण और दूसरे हिस्से में वापसी यात्रा का विवरण होता है । और सारे विवरण एकल यात्रा के अनुसार ही छपा हुआ होता है । इसका किराया एक ही समय में ले लिया जाता है । वापसी यात्रा वाले भाग में 'R' छपा रहता है । इसके दोनों हिस्से पर क्रम संख्या छपा होता है ।

बच्चा सह रियायत टिकट (Child cum Concessional Ticket)

यह पांच वर्ष या इससे उपर और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है । बच्चा टिकट का किराया व्यस्क टिकट के किराया का आधा होता है । टिकट के सामने बच्चा (Child) लिखा रहता है । इसी प्रकार अन्य रियायती टिकट भी जारी किया जाता है । जैसे – छात्र रियायत, विकलांग रियायत, रेल कर्मचारियों हेतु PTO टिकट जिस पर PTO छपा होता है ।

मिश्रित टिकट (Combined Ticket)

मिश्रित टिकट निम्न परिस्थितियों में जारी किया जाता है –

(i) श्रेणी मिश्रित टिकट (Class Combined Ticket) – जब पूरे यात्रा के लिए एक ही श्रेणी की सुविधा उपलब्ध न हो तब यात्री कुछ दूरी निम्न श्रेणी और कुछ दूरी उच्च श्रेणी में यात्रा करता है, जो यात्री की इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार जारी किया जाता है ।

(ii) गाड़ी मिश्रित टिकट (Train Combined Ticket) – जब यात्री कुछ दूरी Mail/Exp. Train से तथा कुछ दूरी Ordinary Train से यात्रा कर रहा हो जो यात्री के इच्छानुसार भी हो सकता है जारी किया जाता है ।

नौकर टिकट (Attendant Ticket)

इस प्रकार के टिकट को IA और Ist Class में यात्रा करने वाले यात्रियों के नौकर के लिए जारी किया जाता है । यह 2nd Class या SL Class का हो सकता है तथा टिकट पर Attendent लिखा रहता है । IA वाले यात्री अपने साथ दो नौकर और Ist Class वाले यात्री एक नौकर ले जा सकते हैं महिला यात्री जो अकेली या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ है तो रात के समय यदि अन्य महिला यात्री आपत्ति न करे तो नौकर को अपने साथ रख सकती है । नौकर टिकट पर नौकर अपने मालिक की सेवा हेतू उनके पास गाड़ी में आ–जा सकता है ।

सीजन टिकट (Season Ticket & MST, QST & MVST)

(i) सीजन टिकट दैनिक यात्री को सुविधा देने के उद्देश्य से जारी किया जाता है ।

(ii) प्रत्येक सीजन टिकट धारी को एक पहचान पत्र बनाना आवश्यक होता है ।

(iii) पहचान पत्र, बुकिंग कार्यालय से बनता है जिसपर पासपोर्ट साइज का फोटो रहता है । इस पर यात्री का नाम, पता, उम्र, लिंग तथा उसका हस्ताक्षर होता है ।

(iv) परिचय पत्र के नम्बर को सीजन टिकट पर लिख दिया जाता है ।

(v) परिचय पत्र सात साल तक मान्य है ।

(vi) MST एक महीने हेतू, QST तीन महीने तथा MVST एक महीने हेतू बनता है ।

(vii) यह केवल 150 Km दूरी तक के यात्रा के लिए जारी होता है ।

(viii) जहाँ सीजन टिकट की सुविधा 01.4.1951 से पहले भी 150 Km से अधिक दूरी के लिए जारी होता था वैसे खण्ड पर यह जारी होगा, जो 150 Km से ज्यादा है ।

(ix) इसे 2nd Class और 1st Class के लिए जारी किया जाता है ।

(x) MST, QST पर 2nd Class हेतु 10 Kg और Ist Class हेतु 15 Kg (FA) फ्री एलाउन्स देते है ।

(xi) MST/QST पर यात्रा विराम का नियम लागू नहीं होता है, तथा यात्री यात्रा विराम कहीं भी कर सकता है।

(xii) MVST एक महीने के लिए बनाते हैं यह केवल 2nd Class के लिए जारी होता है । इस पर 60 Kg तक फ्री एलाउन्स है लेकिन वापसी में खाली टोकरी हीनी चाहिए । यह मुख्यतः छोटे खुदरा व्यपारियों हेतु है।

(xiii) MVST का किराया M.S.T के 1.5 गुणा लेते हैं ।

(xiv) MST का न्यूनतम किराया IInd-Rs 100/-, 1st Class MST - 325/- होता है । IInd QST-Rs 270/-, 1st Class QST - 880/- होता है ।

(xv) सुपरफास्ट चार्ज IInd MST - 225/- Ist MST - 675/-
IInd QST - 675/- Ist QST - 2025/-

(xvi) QST का किराया MST का 2.7 गुणा लेते है।

सैनिक जाँच टिकट (Check Soldier Ticket)

(i) यह एक यात्रा कार्ड टिकट है जिस्का रंग सफेद होता है जिसे सैनिक द्वारा या Military Personal द्वारा IAFT 1752 प्रस्तुत करने पर जारी किया जाता है ।

(ii) यह Single Journey (एकल यात्रा) या वापसी यात्रा (Returns Journey) जो वारंट में लिखा रखता है उसी अनुसार जारी करते हैं । वारंट का आवश्यक विवरण भरने के बाद यात्री को वारंट के निचले भाग को अलग कर CST के साथ लौटा देते हैं जिसे यात्रा के दौरान रखना आवश्यक है । CST का नम्बर वारंट में दर्ज कर दिया जाता है ।

(iii) इस टिकट में अंतिम स्टेशन, दूरी, Class, किराया इत्यादि नहीं लिखा होता है । इसमें केवल जारी करने वाला स्टेशन का नाम छपा होता है और विवरण वारंट के निचले भाग में होता है ।

(iv) वारंट के उपर वाले भाग को स्टेशन में Cash Voucher के रूप में रख लेते हैं और स्टेशन की आय के साथ Cash Office भेज देते हैं ।

(v) CST जिस स्टेशन से जारी होता है वहाँ पर एक Register रखा जाता है जिसमें जारी किए गए CST का विवरण होता है ।

(vi) डबल यात्रा के मामले में CST के दोनो भाग में इसका क्रम संख्या होता है ।

(viii) CST उपलब्ध नहीं रहने पर EFT जारी किया जा सकता है ।

इण्डरेल पास (Indrail Pass)

यह एक यात्रा कार्ड टिकट होता है । यह सभी श्रेणियों के लिए जारी किया जाता है जैसे IA, 2A, 3A, CC, FC, SC और 2S । 2A, 3A, CC और Ist (FC) का किराया समान होता है तथा Sl और 2S का भी एक समान होता है । इसकी वैधता अवधि 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन की होती है ।

यह इससे भी कम दिन के लिए जारी होता है जैसे ½ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन । अवधि की गणना यात्रा प्रारम्भ करने के दिन से जोड़ा जाता है । यह निम्नलिखित व्यक्तियों को जारी होता है ।

(i) प्रवासी भारतीय वैध पासपोर्ट के साथ

(ii) विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट के साथ

(iii) टूरिस्ट गाइड जिसे पर्यटन विभाग से प्रमाण पत्र मिला हो या मान्यता प्राप्त हो और इण्डरेल पास धारी को सहयोग कर रहा हो ।

इण्डरेल पास की बिक्री Rail Travel Agent द्वारा या स्टेशन में भारत के चार बड़े महानगरों में होती है । भारतीय रेल द्वारा विदेशों में नियुक्त किए गए General Sale Agents द्वारा कुछ चुनिंदा शहर जैसे New York, London, Paris, Tokyo इत्यादि में जारी किए जाते है ।

इसका किराया US डालर या UK पाउण्ड स्टर्लिंग में लिया जाता है यदि किसी प्रकार का वापसी करना हो तो वह भारतीय रूपये से की जाती है । इसमें महत्वपूर्ण विवरण जैसे नाम, देश का नाम, पासपोर्ट का नम्बर, यात्रा प्रारम्भ करने का तिथि और यात्रा का अंतिम तिथि लिख दिया जाता है ।

इण्डरेल पास धारी भारतीय रेल में किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक यात्रा कर सकता है । जिसमें राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस शामिल नहीं है । इसके लिए अलग से Indrail Pass बनता है जिसे राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस में व्यवहार किया जाता है । यह 01.4.2003 से लागू है । इसके धारक को आरक्षण शुल्क, अनूपूरक प्रभार से छूट दी गई है और कहीं भी यात्रा विराम कर सकते हैं । इसमें पृष्ठांक (Endorsement) की आवश्यकता नहीं होती है ।

यात्रा सह आरक्षण टिकट (Journey Cum Reservation Ticket)

यह कार्ड टिकट के रूप में हो सकता है । इस पर आरक्षण शुल्क शामिल रहता है । इस टिकट को जारी कर किसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है । यात्रियों के माँग के अनुसार किसी स्टेशन से किसी स्टेशन के बीच यात्रा हेतु AMPS से मंगाया जा सकता है ।

कोरा कागज टिकट (Blank Paper Ticket)

यह एक पेपर टिकट है यह PTO, या अन्य रियायती आदेश के बदले या 200 Km तक का कार्ड टिकट नहीं रहने पर बुकिंग कार्यालय से जारी किया जाता है । यह किताब के रूप में बंधा होता है । एक किताब में 50 BPT serially Numbered होता है । प्रत्येक BPT की तीन प्रतियां होती है । पहली प्रति Accounts की दूसरी यात्री की, और तीसरी प्रति Record होती है । Local तथा Foreign हेतु अलग–अलग होता है । इसे डबल साइड कार्बन द्वारा जारी करते हैं । इस पर यात्रा का विवरण हाथ से लिखकर भरना होता है । प्रारम्भिक स्टेशन यदि छपा नहीं हो तो हाथ से लिख दिया जाता है । इसका रंग गुलाबी होता है ।

अतिरिक्त किराया टिकट (Excess Fare Ticket)

यह एक पेपर टिकट होता है । इसका रंग सफेद होता है । यह बुकिंग स्टाफ या चेकिंग स्टाफ दोनो के द्वारा जारी किया जाता है। EFT किताब के रूप में बंधा होता है । प्रत्येक किताब में 50 टिकट होता है तथा प्रत्येक के तीन प्रति होती है । इसे डबल साइड कार्बन द्वारा जारी करते हैं । पहली प्रति Accounts की, दूसरी यात्री की और तीसरी Record होती है । Local और Foreign के लिए अलग–अलग होती है । यह बुकिंग स्टाफ द्वारा CST नहीं रहने पर या सीजन टिकट नहीं रहने पर जारी किया जाता है । ऐसी अवस्था में अधिकतम दूरी का कार्ड टिकट जारी कर EFT द्वारा एक्सटेंशन किया जाता है । यह Checking Staff द्वारा PCT को Extend करने, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में टिकट को बदलने अथवा अनियमित यात्रा करने वाले को चार्ज करने हेतु जारी किया जाता है ।

सोल्जर टिकट (Soldier Ticket)

यह एक पेपर टिकट होता है जब Military Personal छोटे दल या अपने परिवार के साथ या मिलिटरी स्पेशल ट्रेन, गाड़ी, वैगन या कम्पार्टमेंट के परिवहन के लिए IAFT 1707 या IAFT 1707 A प्रस्तुत करता है तो ST जारी किया जाता है ।

सोल्जर टिकट का रंग सफेद होता है । इसके तीन प्रतियाँ होती है जिसे केवल पेन से लिखते हैं, बाऐं साइड का भाग (प्रति) Record के रूप में रहता है तथा बाहरी प्रति यात्री को लौटा दी जाती है इसमें सभी विवरण SM या BC द्वारा भर दिया जाता है । यदि समान भी रहता है तो बीच वाला प्रति गार्ड को दी जाती है और समान को Break Van में लोड कर दिया जाता है ।

इसे जारी करने के पहले इसके लिए जो IAFT 1707 या IAFT 1707 A दिया जाता है उसे अच्छी तरह जाँच कर ली जाती है कि उस पर भरे विवरण ठीक है और जारी करने वाले अधिकारी और कार्यालय का Seal लगा हुआ है । इसके पिछले भाग में छपा हुआ निर्देश ध्यान पूर्वक पालन होना चाहिए ।

स्पेशल/आरक्षित सुविधा टिकट (Special/Reserved Accommodation Ticket)

यह एक पेपर टिकट है जिसका फार्म नं० Com/T-6 है यह टिकट किसी Coach या ट्रेन को बुक करने हेतु जारी किया जाता है । यह एकल यात्रा या वापसी यात्रा के लिए हो सकता है । यह किताब के रूप में बंधा होता है । प्रत्येक टिकट की तीन प्रतियाँ होती है । पहला Account, दूसरा यात्रा का और तीसरा Record होता है । यह सफेद रंग का होता है । इस पर स्टेशन कहाँ से कहाँ तक, यात्रियों की वास्तविक संख्या, डिब्बा का नम्बर, वहन क्षमता आदि लिख दिया जाता है ।

पर्यटक कुपन टिकट (Tourist Coupon Ticket)

यह भी पेपर टिकट है । यह अधिकृत पर्यटन Agent द्वारा विदेशियों अथवा अप्रवासी भारतीयों को जारी होता है । यह एकल या वापसी यात्रा के लिए हो सकता है । इस पर यात्रा विराम का नियम लागू नहीं होता है । यह किताब के रूप में होता है । IA का रंग हरा, 2A, Ist Class के लिए हरा, 2nd Ordinary के लिए पीला, 2 M/EXP के लिए बादामी रंग का होता है । बच्चा टिकट हेतु अलग किताब होता है । प्रत्येक का तीन प्रति, पहली Account, दूसरा यात्री का एवं तीसरा Record होता है ।

चक्राकार यात्रा टिकट (Circular Journey Ticket)

यह विशेष प्रकार का यात्रा पेपर टिकट है जिसे Circular Tour Ticket भी कहते हैं । जिसका रंग सफेद होता है। जब इसे जारी किया जाता है तो इसमें पूरी दूरी, मान्य अवधि इत्यादि लिखा रहता है ।

चक्राकार यात्रा टिकट Standard और Non-Standard दोनो होता है । Standard चक्राकार यात्रा टिकट जोनल रेलवे द्वारा तय किया जाता है । जिसे जोनल रेलवे के Time Table में प्रसारित भी किया जाता है । इसमें इसका किराया, वैध अवधि, मार्ग, कुल दूरी इत्यादि Time Table में भी लिखा रहता है । Non-Standard चक्राकार यात्रा टिकट वैसा टिकट है जो यात्री के इच्छानुसार बनाया जाता है । इसमें यात्रा का प्रारम्भिक और अंतिम स्टेशन एक होता है ।

इसके किराया का गणना करते समय इसे दो Single Journey के बराबर समझा जाता है । प्रत्येक Single Journey को, पूरी दूरी के आधा कर लेते है तथा प्रत्येक भाग के आरक्षण हेतु आरक्षण शुल्क लेते हैं । जबकि संरक्षा प्रभार, अनूपूरक प्रभार यदि लेना हो तो एक बार ही लेते हैं ।

इस टिकट के धारक को अधिकतम 8 स्टेशन पर यात्रा विराम की अनुमति है । जहाँ दूरी प्रतिबंध शामिल नहीं है । इसके धारक किसी भी स्टेशन पर अपनी इच्छानुसार यात्रा विराम कर सकते हैं लेकिन उन्हें मान्य अवधि के अन्दर अपनी यात्रा पूरी कर लेनी है । इसमें पृष्ठांकन (Endorsement) की आवश्यकता नहीं है ।

इसे जारी करते समय यात्री का हस्ताक्षर इस पर करवा लेते हैं । यह अहस्तांतरणीय है ।

मान्य अवधि की गणना करते समय इसे यात्रा अवधि और यात्रा विराम अवधि के आधार पर करते हैं । यात्रा अवधि की गणना करने के लिए प्रत्येक 400 Km या उसके भाग पर एक दिन, तथा यात्रा विराम की अवधि की गणना करने के लिए प्रत्येक 200 Km पर एक दिन का यात्रा विराम मानते हैं ।

उदाहरण स्वरूप – यदि पूरी दूरी 1700 Km है तो

यात्रा की अवधि हेतु $= \frac{1700}{400} = 4.25$

यात्रा विराम हेतु $= \frac{1700}{200} = 8.50$ R/o

कुल यात्रा अवधि $= 5 + 8 = 13$ दिन

उच्च अधिकारी माँग पत्र (High Official Requisition)

यह रेलवे द्वारा निर्धारित फार्म है जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के उच्च अधिकारी रेल द्वारा यात्रा करने हेतु प्रयोग किया जाता है । इस मांग पत्र के दो भाग होते हैं जिसे SM या BC द्वारा भरा जाता है । इसमें From station, To Station इत्यादि भरा जाता है । इसमें पूरा विवरण भरकर SM Sign करेगे और मुहर लगाएगें तथा माँग पत्र का बाहरी प्रति अधिकारी को लौटा देंगे । जो यात्रा में टिकट का काम करेगा । SM द्वारा अन्दर की प्रति रख ली जाएगी । जिसे Cash Voucher समझा जाएगा और स्टेशन की आय के साथ CR Note में भर कर Divisional Cash Office भेज दिया जाता है ।

अंतिम स्टेशन पर TC द्वारा दूसरे प्रति को जमा कर इसे TA Office में भेजा जाएगा जहाँ इसकी जाँच की जाती है । उच्च अधिकारी द्वारा यात्रा का खर्च संबंधित सरकार वहन करती है । उच्च अधिकारी में निम्न व्यक्ति शामिल हैं ।

(i) राष्ट्रपति
(ii) उपराष्ट्रपति
(iii) प्रधानमंत्री
(iv) उप–प्रधानमंत्री
(v) राज्यपाल
(vi) मुख्य मंत्री
(vii) केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्री
(viii) Supreme Court और High Court के मुख्य न्यायधीश
(ix) लोक सभा अध्यक्ष
(x) जल सेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख
(xi) योजना आयोग के सदस्य

संसद सदस्य हेतु परिचय पत्र सह रेलवे पास
(Identity Card Cum Railway Pass for MPs.)

संसद सदस्य को पहचान पत्र के साथ रेल यात्रा प्रपत्र दिया जाता है । रेल यात्रा प्रपत्र किताब के रूप में होता है । यह रेल यात्रा प्रपत्र स्वयं के लिए अलग तथा सहचर के लिए अलग से होता है । एक किताब में 25 रेल यात्रा प्रपत्र रहता है तथा प्रत्येक की दो प्रतियां होती है ।

यह संसद सदस्य को राजधानी, शताब्दी या जन शताब्दी सहित सभी गाड़ियों के लिए IA अथवा एक्ज्क्यूटिभ श्रेणी में यात्रा हेतु अधिकृत करता है तथा उसके सहचर को 2A में अधिकृत है । संसद सदस्य अपनी इच्छानुसार सहचर के साथ 2A में जा सकते है । उनका सहचर अकेले यात्रा के लिए अधिकृत नहीं है । इस पास पर किसी प्रकार का आरक्षण शुल्क, अनूपूरक प्रभार एवं संरक्षा प्रभार नहीं लिया जाता है ।

रेल यात्रा प्रपत्र के दोनों प्रतियों पर संसद सदस्य का नाम, पहचान पत्र की संख्या, From Station, To Station एवं श्रेणी भरा जाता है । इसके एक प्रति को Record के रूप में रखा जाता है जबकि दूसरी प्रति Destination पर TC को दे दिया जाता है ।

स्पाउज पास (Spouse Pass) (वैवाहिक युग्ल दंपति)

संसद सदस्य को अपने पति या पत्नी का पास भी रेल यात्रा प्रपत्र के साथ मिलता है । पति या पत्नी उस पर अकेले भी प्रत्येक संसद सत्र में एक बार अपने मूल निवास से नई दिल्ली एवं वापसी यात्रा कर सकता है । यह भी IA या एक्जक्यूटिभ श्रेणी जो सभी गाड़ियों के लिए है उसी प्रकार यात्रा प्रपत्र भरा जाएगा और Record के अलावा Destination पर TC को दिया जाएगा । इसका Spouse बजट सत्र में दो बार आ–जा सकता है ।

इस तरह से जमा किए सभी रेल यात्रा प्रपत्र को यातायात लेखा कार्यालय (TA Office) को भेजा जाएगा, ताकि एकाउन्टेंट जनरल सेन्ट्रल रेवन्यु (AGCR) के साथ खर्च का समायोजन किया जा सके । संसद सदस्य, सहचर, पति या पत्नी द्वारा किए यात्रा का खर्च लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय वहन करती है ।

नोट :– *जिस संसद सदस्य को कोई* Spouse *नहीं है उसे अपने सहचर को अपने साथ* IA *या एकज्यूटिभ श्रेणी में ले जाने की अनुमति है तथा भूतपूर्व संसद सदस्य को भी संसद सदस्य पहचान पत्र सह रेलवे पास एक सहचर के साथ लोक सभा या राज्य सभा सचिवालय द्वारा निर्गत होता है । जिसमें वे* 2A *में सहचर के साथ यात्रा कर सकते है ।*

स्वतंत्रता सेनानी कार्ड पास (Freedom Fighter Card Pass)

रेलवे द्वारा स्वतंत्रता सेनानी को पूरे जीवन हेतु Card Pass जारी किया जाता है । यह उसके विधवा पत्नी को भी मिलता है जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लेती हैं ।

इसमें Ist Class कार्ड पास मंडलीय कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है । सामान्यतः यह एक वर्ष हेतू जारी किया जाता है । राजधानी, शताब्दी व जन शताब्दी एवं मेट्रो रेलवे को छोड़कर ये अपने सहचर के साथ 2A में यात्रा कर सकते हैं । एकमुश्त किराया भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जमा किया जाता है । जो इस कार्ड पास पर स्वतंत्रता सेनानी द्वारा यात्रा की जाती है ।

भूतपूर्व सांसद के लिए पास (Pass For Ex-MPs)

भूतपूर्व सांसद को रेल प्रशासन द्वारा Ist Class कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाता है जिसे प्रति 6 वर्ष में नवीकरण किया जाता है । ये मेट्रो रेल कोलकाता को छोड़कर 2A में किसी भी गाड़ी में अपने सहचर के साथ जाने के लिए अधिकृत है । सांसद IA में भी किसी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं लेकिन उन्हें 2A और IA के किराए का अन्तर Cash में देना होगा ।

डियूटी पास (Duty Pass)

रेलवे कर्मचारी को जब वे ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हो तो ड्यूटी पास जारी किया जाता है ।

यह तीन प्रकार का होता है :—

(i) मेटल पास (ii) चेक पास (iii) कार्ड पास

मेटल पास (Metal Pass) :– यह ग्रेड A और ग्रेड B अधिकारी को उनके ड्यूटी हेतु जारी होता है । यह गोलाकार धातु का होता है । जिसमें इसका नम्बर, जारी करने वाले अधिकारी का नाम खुदा होता है । यह तीन प्रकार का होता है जो उसके धातु के रंग के अनुसार होता है । जैसे – गोल्ड, सिल्वर और ब्रोन्ज ।

गोल्ड पास (Gold Pass) :– यह अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के सदस्य, वित्त आयुक्त, मुख्य कमीश्नर (Rly. Safety) और वैसे अन्य अधिकारी जिनका वेतनमान इनके समान है और GM वेतनमान 75500–80000/- है। वे भारतीय रेल में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं । स्वयं और अपने परिवार के साथ जिसमें 1A में अधिकतम दो Berth और 2A में चार Berth मिलता है ।

सिल्वर पास (Silver Pass) :– यह रेलवे विभाग के वरीय प्रशासनिक अधिकारी को जिसमें Zonal Railway Board के अधिकारी शामिल है । जैसे AGM, DGM, PHOD, HOD इत्यादि G.P. 10,000 । जो स्वयं केवल IA में तथा परिवार के साथ 2A में जिसमें अधिकतम 4 Berth होगा । ये अपने परिवार को IA में 2A और IA के किराए के अंतर का एक तिहाई देकर ले जा सकते हैं । जो पूरे भारतीय रेल में अधिकृत है ।

ब्रान्ज पास (Bronze Pass) :– यह पास सभी अधिकारी को मिलता है । रेलमंत्रालय और रेल प्रशासन के अधिकारी जेा Zonal और Divisional के हैं । जिनका वेतनमान G.P. 4800/- या इससे अधिक है । वे पूरे भारतीय रेलवे में यात्रा के लिए अधिकृत हैं । स्वयं IA में तथा अपने परिवार के साथ IA में जब IA और 2A के किराए के अंतर का 1/3 भुगतान करते हैं तो अधिकतम 4 Berth के साथ यात्रा कर सकते हैं । इनको IA में यात्रा करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा प्राधिकार जारी किया जाता है जो यात्रा के दौरान रखा जाता है । अन्य अधिकारी अपने Zone में 2A में अधिकतम 4 Berth के साथ अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं ।

कार्ड पास (Card Pass) :– यह पास ग्रेड C और D कर्मचारियों हेतु जारी होता है जिन्हें ड्यूटी के कारण बार–बार यात्रा करनी होती है । यह उनके नाम से एक वर्ष हेतु जारी किया जाता है । इसे अगले वर्ष हेतु नवीकरण किया जा कसता है । यह उसी श्रेणी में जारी होता है जिस श्रेणी का कर्मचारी अधिकृत होता है । Card Pass धारक अपने परिवार के साथ यात्रा नहीं कर सकता है ।

यात्रा प्रारम्भ करने का नियम (Rule for Commencement of Journey)

(i) यात्री को रेलवे द्वारा उपलब्ध टिकट खिड़की या उसके अधिकृत Agent द्वारा टिकट लेना चाहिए ।

(ii) टिकट पर दर्ज प्रारम्भिक स्टेशन और अंतिम स्टेशन के बीच ही यात्रा की जा सकती है ।

(iii) टिकट जिस श्रेणी या उस पर जो सेवा अंकित होगा यात्री उसी सेवा के उपयोग का अधिकारी होगा ।

(iv) 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे टिकट धारी के साथ बिना टिकट यात्रा कर कसते हैं ।

(v) 5 वर्ष या इससे ऊपर और 12 वर्ष से कम के बच्चे का किराया मूल किराया का आधा लगेगा ।

(vi) यदि यात्रा लम्बी दूरी का है तो नियमानुसार Break Journey मिलेगा जिसमें यात्रा प्रारम्भ करते समय पृष्ठांकन आवश्यक है ।

(vii) प्लेटफार्म टिकट के साथ गार्ड सर्टिफिकेट लेकर यात्रा प्रारम्भ की जा सकती है ।

(viii) यात्रा प्रारम्भ करने के पहले पास पर आवश्यक कॉलम को भर लेना चाहिए । पृष्ठाकंन आवश्यक है ।

(ix) यात्री को उसके टिकट के श्रेणी के अनुसार उसके लगेज पर फ्री एलाउन्स देते हैं ।

(x) सीजन टिकट पर वैध अवधि के अन्दर प्रतिदिन यात्रा की जा सकती है

(xi) आरक्षित टिकट पर आरक्षित ट्रेन से नामांकित दिन को ही यात्रा की जा सकती है ।

(xii) सुविधा पास या ड्यूटी पास पर उसके मान्य अवधि के अन्दर ही यात्रा मान्य होगा तथा यात्रा के समय उसपर पृष्ठांकन आवश्यक है ।

यात्रा विराम (Break Journey)

जब यात्री अपनी यात्रा को बीच में ही विराम देता है तो उसे यात्रा विराम कहते हैं ।

जब यात्रा लम्बी हो तो यात्री अपनी इच्छानुसार या किसी कारण से किसी स्टेशन पर यात्रा विराम ले सकता है । रेलवे ने लम्बी दूरी के यात्रियों हेतु यात्रा विराम की अनुमति दी है । इसके लिए कुछ नियम और समय का निर्धारण किया गया है वर्तमान समय में जो नियम है वह इस प्रकार है ।

एकल यात्रा टिकट पर (On Single Journey Ticket)

(i) यात्री को यात्रा विराम देते हैं जब उसके पास एकल यात्रा टिकट की दूरी 500 km से ज्यादा हो और कम से कम 500 km से ज्यादा दूरी तय कर ली हो ।

(ii) 1000 km तक का टिकट है तो उसे एक और 1000 Km से अधिक दूरी के टिकट है तो दो यात्रा विराम देते हैं लेकिन पहला यात्रा विराम 500 Km के बाद दिया जाता है ।

(iii) यात्रा विराम की अवधि दो दिन की होती है जिसमें आगमन और प्रस्थान दिन शामिल नहीं है ।

(iv) टिकट पर पृष्ठांकन (Endorsement) आवश्यक है जिसमें स्टेशन का कोड, दिनांक, TC/SM का संक्षिप्त हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए और यात्रा प्रारम्भ करते समय भी पृष्ठांकन कराना चाहिए अन्यथा बिना टिकट माना जाएगा ।

(v) जब यात्री किसी जंकशन स्टेशन पर 24 घंटे से कम समय के लिए किसी Connecting गाड़ी को पकड़ने के लिए रूकता है तो यह यात्रा विराम नहीं कहा जाएगा ।

अपवाद (Exceptions)

(i) राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी में यात्रा विराम नहीं मिलता है ।

(ii) जिन स्टेशन के लिए आरक्षण किया गया है उससे पहले यात्रा विराम नहीं दिया जायेगा ।

(iii) उपनगरीय खण्ड में यात्रा विराम नहीं होता है ।

(iv) किसी खास उद्देश्य से रियायती दर पर यात्रा करने वाले यात्री जैसे–विद्यार्थी जो परीक्षा देने या देकर आ रहा हो, कैन्सर रोगी जो अस्पताल जा रहा या आ रहा हो, शिक्षक जो सेमिनार में जा रहा हो या वापस आ रहा हो को यात्रा विराम नहीं देते हैं ।

(v) जेल से छुटे कैदी जो जेल वारंट पर यात्रा कर रहा हो उसे यात्रा विराम नहीं देते हैं । वह सीधा अपना गंतव्य स्टेशन जाएगा ।

अन्य टिकट पर यात्रा विराम का नियम
(Break Journey Rules in Case of other Tickets)

चक्राकार यात्रा टिकट पर यात्रा विराम – इस प्रकार के टिकट पर यात्री, दर्ज यात्रा विराम स्टेशन पर यात्रा विराम कर सकता है । जो अधिकतम 8 हो सकता है । वह किसी स्टेशन पर अपनी इच्छानुसार रूक सकता है लेकिन उसे अपनी यात्रा मान्य अवधि के अन्दर पूरी कर लेनी है । इस पर पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है ।

मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकट पर यात्रा विराम (MST/QST) — इस टिकट के धारक अपने निर्धारित मार्ग के किसी भी स्टेशन पर यात्रा विराम कर सकते हैं पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है ।

एम० भी० एस० टी० – (MVST) टिकट धारी भी अपने निर्धारित मार्ग पर कहीं भी यात्रा विराम कर सकता है किन्तु वह स्टेशन उस दिन का अंतिम स्टेशन होगा तथा वहाँ से उसे वापस आना होगा । चेक पास—धारी उसी स्टेशन पर यात्रा विराम करेगा जो पास में दर्ज है । पासधारी विशेष परिस्थिति में कहीं भी यात्रा विराम कर सकता है लेकिन पास पर पृष्ठांकन की आवश्यकता होती है । Metal या कार्ड पास धारी किसी भी स्टेशन पर यात्रा विराम कर सकता है ।

इण्डरेल पास और पर्यटन कुपन टिकट पर यात्रा विराम (Indrail Pass & Tourist Coupon Ticket) — इस प्रकार के टिकट धारी किसी भी स्टेशन पर यात्रा विराम का सकते हैं Indrail Pass पर पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती है । परन्तु पर्यटन कुपन टिकट पर पृष्ठांकन जरूरी है ।

वापसी यात्रा टिकट (Return Journey Ticket) — इस प्रकार के टिकट को दो भागों में बांट कर Single Journey के रूप में दूरी का गणना करते हैं और उसी अनुसार यात्रा विराम दिया जाता है । लेकिन यात्रा मान्य अवधि के अन्दर पूरी कर लेनी है ।

पी०टी०ओ०टिकट (PTO Ticket) — PTO टिकट धारी जो M/Exp से यात्रा कर रहा है बिना दूरी प्रतिबंध के यात्रा विराम कर सकता है ।

टिकट का अग्रिम बुकिंग/अग्रिम आरक्षण अवधि
(Advance Issue of Ticket/Advance Reservation Period)

(1) अनारक्षित टिकट हेतू (For Unserved Ticket)

UTS से 3 दिन अग्रिम का टिकट जारी किया जा सकता है । जब टिकट की दूरी 200 Km या अधिक हैं।

(2) आरक्षित टिकट हेतू (For Reserved Ticket)

(I) 120 दिन पूर्व आरक्षित टिकट खरीदा जा सकता है (यात्रा का दिन छोड़कर)

(ii) जिन मध्यवर्ती स्टेशनों पर गाड़ी '0000' समय के बाद पहुँचती है वैसे स्टेशन के लिए 121 दिन पूर्व टिकट खरीदा जा सकेगा (जिसमें यात्रा का दिन शामिल नहीं है)

(iii) तत्काल सेवा के आरक्षण 01 दिन पूर्व किया जा सकेगा ।

(iv) कोच या ट्रेन बुकिंग हेतू एक महीने से 6 महीने पूर्व इसकी बुकिंग की जा सकती है ।

(v) Indrail Pass Ticket की बिक्री 360 दिन पूर्व हो सकती है ।

(vi) विदेशी पर्यटक 360 दिन पूर्व Tourist Agent के माध्यम से आरक्षण ले सकते हैं ।

टिकट की वैधता या उपलब्धता
(Availability of Ticket 0r Validity)

जब यात्री टिकट की खरीद करता है तो उसे इसके मान्य अवधि के भीतर इसका उपयोग कर लेना है । सामान्यतः यात्री द्वारा सीधा अपने गंतव्य पर जाया जाता है । जिसमें वैसे जंकशन स्टेशन जहाँ यात्री दूसरी Connecting गाड़ी पकड़ने हेतू उतरता या रूकता है जो 24 घंटा से कम है यात्रा विराम नहीं है । जब यात्री लम्बी दूरी के टिकट पर यात्रा विराम करता है तो उसे मान्य अवधि के साथ जोड़ दिया जाता है ।

प्लेटफार्म टिकट का मान्य अवधि (Validity Period of Platform Ticket)

प्लेटफार्म टिकट का अवधि उसके जारी करने के समय से दो घंटे तक होती है । UTS में समय प्रिंट रहता है जबकि मैनुवल जारी करने के समय को हाथ से मार्क कर दिया जाता है ।

सीजन टिकट का मान्य अवधि (Validity Period of Season Ticket)

सीजन टिकट 1 महीने और 3 महीने के लिए जारी किया जाता है । इसका प्रारम्भिक दिवस लिखा रहता है और जिस दिन इसका अंतिम दिवस होता है उस मध्य रात्रि तक मान्य है । इसे वर्तमान समय में 10 दिन पूर्व रिनुवल कराया जा सकता है ।

चक्राकार यात्रा टिकट का मान्य अवधि (Validity Period of Circular Journey Ticket)

चक्राकार टिकट की अवस्था में इसका मान्य अवधि इसके पूरी दूरी पर निकालते है । इसका आधार यात्रा अवधि और यात्रा विराम अवधि के अनुसार होता है । प्रत्येक 400 Km या उसके अंश पर 1 दिन तथा प्रत्येक 200 Km या उसके अंश पर 1 दिन का यात्रा विराम देते हैं । इसका मान्य अवधि टिकट पर लिखा होता है । जिसे यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि से गणना की जाती है ।

इण्डरेल पास की मान्य अवधि (Validity Period of Indrail Pass)

इण्डरेल पास भिन्न अवधि के लिए जारी किया जाता है जैसे ½ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन । इसका मान्य अवधि की गणना यात्रा प्रारम्भ करने के दिन से की जाती है और अंतिम दिन के मध्य रात्रि तक मान्य होता है ।

टिकट का पुनः वैधता (Revalidation of Journey Ticket)

SM या BC किसी यात्रा टिकट का पुनः वैधता कर सकते हैं जब यात्री को उनके टिकट पर सुविधा या स्थान उपलब्ध कराने में रेल प्रशासन असमर्थ होता है या यात्री को पुलिस पूछताछ हेतू रोक लिया जाता है जो रेल मामले में है या चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किसी संक्रामक रोग की जाँच करती है ।

रियायत (Concession)

रेलवे केवल वाणिज्यिक संगठन ही नहीं है, बल्कि यह जनता की सेवा के लिए भी है । देश के कुछ वर्ग को जो रियायत के हकदार हैं उनको सामाजिक स्तर पर रियायत देती है ।

रियायत के सामान्य नियम (Rules For Concession)

(i) रियायत केवल और केवल मूल किराया पर देते हैं । अर्थात आरक्षण शुल्क, अनूपूरक प्रभार और विकास प्रभार पर रियायत नहीं दिया जाता है ।

(ii) रियायत केवल M/Exp. के किराए पर देते हैं भले ही यात्री सवारी गाड़ी से जाना चाहता है या जाएगा ।

(iii) एक साथ दो प्रकार के रियायत नहीं मिलता है ।

(iv) जब यात्री सरकारी खर्चे पर यात्रा कर रहा है तब उसे रियायत नहीं देते हैं ।

(v) सभी प्रकार के रियायत केवल टिकट खिड़की से मिलते है । रियायत टिकट को उसके अधिकृत Class से उच्च Class में नहीं बदलते है जबकि यात्री किराया का अन्तर देना चाहता है यदि वह उच्च श्रेणी में जाना चाहता है तो उसे रियायत नहीं मिलेगा तथा उसे पूरा किराया देना होगा ।

(vi) वरिष्ठ नागरिक मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता और MBBS डॉकटर, अंधा व्यक्ति तथा विकलांग व्यक्ति को छोड़कर राजधानी, शताब्दी और जन शताब्दी में रियायत नहीं मिलता है ।

रेल कर्मचारियों को रियायत (Concession for Railway Employee)

सुविधा टिकट आदेश – PTO (Privilege Ticket Order) – यह रेल कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य के यात्रा हेतू जारी किया जाता है । 1/3 किराया वसूला जाता है । जिसमें आरक्षण शुल्क और सुपर फास्ट प्रभार नहीं लगता है ।

इसे जारी करने के पाँच महीने के अन्दर उपयोग कर लिया जाता है । इसे यात्रा शुरू करने के पहले टिकट खिड़की से टिकट के रूप में बदल लेते हैं इसके बदले PTO/PCT या BPT जारी किया जाता है । यदि यात्री बिना बदले हुए PTO के साथ यात्रा करता है तो बिना टिकट समझा जाता है । यह रेल कर्मचारी के उसके अधिकृत श्रेणी के अनुसार जारी होता है । जैसे कि सुविधा पास होता है ।

1) Ist Class 'A' PTO
2) Ist Class PTO
3) 2nd Class 'A' PTO
4) 2nd Class PTO

कुछ महत्वपूर्ण रियायत
(Some Important Concession)

क्र.सं०	वर्ग	रियायत	श्रेणी
* 1.	विकलांग व्यक्ति (मार्गरक्षी के साथ अथवा अकेले)	75% 50%	I, II, SL, 3 A, CC IA, 2A
* 2.	अंधा व्यक्ति (मार्गरक्षी के साथ अथवा अकेले)	75% 50%	I, II, SL, 3 A, CC IA, 2A
* 3.	मानसिक अक्षम व्यक्ति (मार्गरक्षी के साथ अथवा अकेले)	75% 50%	I, II, SL, 3 A, CC IA, 2A
* 4.	कैन्सर रोगी, हृदय रोगी, किडनी रोगी (मार्ग रक्षी के साथ या अकेले)	75% 50%	I, II, SL, 3 A, CC IA, 2A
5.	Thalassemia रोगी (मार्ग रक्षी के साथ या अकेले)	75% 50%	I, II, SL, 3 A, CC IA, 2A
6.	T. B. रोगी (मार्ग रक्षी के साथ या अकेले)	75%	I, II, SL
7.	Haemophilia रोगी (मार्ग रक्षी के साथ या अकेले)	75%	I, II, SL, 3A, CC
8.	असंक्रामक कुष्ठ रोगी	75%	I, II, SL
9.	गूंगा व बहरा (मार्ग रक्षी के साथ या अकेले)	50%	I, II, SL
10.	छात्र—सामान्य – 25 वर्ष तक SC/ST – 27 वर्ष तक	50% 75%	II, SL II, SL
11.	रिसर्च स्कालर – 35 वर्ष तक	50%	II, SL
12.	विधवा — वैसे पुलिस वाले की पत्नी जिनकी मृत्यु आतंकवादी या इस प्रकार के अन्य कार्यवाही में हुई है ।	75%	II, SL
13.	विधवा — वैसे सैनिक की पत्नी जिनकी मृत्यु युद्ध में हुई है ।	75%	II, SL
14.	प्रधान मंत्री से श्रम पुरस्कार पाने वाले	75%	II, SL
15.	Recognised विद्यालय के शिक्षकें 300 Km से अधिक की यात्रा पर	25%	II, SL
16.	प्रशिक्षित नर्स/दायी 300 Km से अधिक यात्रा पर	25%	II, SL
17.	वरिष्ठ नागरिक पुरूष उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक, महिला 58 वर्ष या उससे अधिक	40% M 50% F	सभी श्रेणी में जिसमें राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी शामिल है ।
18.	ऐलौपैथिक डाकटर जो कम से कम MBBS हो	10%	सभी श्रेणी में जिसमें राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी शामिल है ।

Note:- 1) कैन्सर रोगी (केवल)	100%	3A, SL
2) विकलांग व्यक्ति (मार्गरक्षि के साथ)	25%	3A, CC of Rajdhani, Shatabdi Train
3) अंधा व्यक्ति (मार्गरक्षी के साथ अथवा अकेले	25%	3A, CC of Rajdhani, Shatabdi Train
4) मानसिक अक्षम रोगी (केवल)	25%	3A, CC of Rajdhani, Shatabdi Train

सैनिक वारंट (Military Warrant)

IAFT 1752 — यह वारंट सैनकि को व्यक्तिगत रूप से केवल उसे ही यात्रा हेतू जब वह ड्यूटी पर या अपने गृह को छुट्टी पर जाता है तो आने और जाने के लिए जारी किया जाता है । इसे यात्रा शुरू करने के पहले बदल लेते हैं । इसके बदले Check Soldier Ticket जारी करते है ।

इस वारंट के दो भाग होते हैं । उपरी भाग को BC या SM रख लेते हैं जिसे Cash Voucher समझा जाता है तथा निचले भाग को CST के साथ यात्री को दे देते हैं । यात्रा के दौरान यात्री द्वारा CST और IAFT 1752 दोनों को अपने साथ रखना आवश्यक है । अन्यथा वह बिना टिकट माना जाएगा । इसे जारी करने के पहले वारंट की जाँच कर ली जाती है जिसमें कार्यालय का मुहर और अधिकारी का हस्ताक्षर साथ–साथ आवश्यक कॉलम भरे होने चाहिए । इसके दोनों भाग पर SM/BC द्वारा भरा जाता है । निचले भाग में CST का नम्बर चढ़ा देते हैं । उपरी भाग में किराया निकाल कर लिखते हैं तथा Cash Office CR Note के साथ भेजा जाता है । जहाँ उसके विभाग को किराया के बराबर रकम का Debit होता है ।

IAFT 1707 — यह सैनिक के लिए जारी होता है जब वह अपने परिवार के साथ अपने मुख्यालय से घर या घर से मुख्यालय जाता है या सैनिकों का छोटा दल जो ड्यूटी पर जाते हैं उन्हें IAFT 1707 मिलता है । इसको यात्रा शुरू करने के पहले टिकट में बदल लेना होता है । जिसके बदले Soldier Ticket जारी करते हैं । यह एकल या वापसी यात्रा हेतू हो सकता है ।

IAFT 1707 'A' — यह वारंट उस समय जारी किया जाता है जब सैनिकों का बड़ा दल आरक्षित Coach या ट्रेन, वैगन इत्यादि बुक कर ले जाता है । इसे भी यात्रा शुरू करने के पहले टिकट में बदल लेते हैं तथा इसके बदले Soldier Ticket जारी किया जाता है । यदि कोच या यात्री गाड़ी से जा रहें है और उनके पास Baggage है तो Soldier Ticket के गार्ड प्रति को बनाकर गार्ड को दे देते हैं तथा समान B/V में भेज दिया जाता है ।

सैनिक प्रमाण पत्र फार्म (Military Certificate Forms)

IAFT 1953 & IAFY 1954 — यह फार्म आरक्षित सैनिकों हेतू जारी किया जाता है जब उन्हें प्रशिक्षण हेतू बुलाया जाता है । इसको यात्रा शुरू करने से पहले टिकट मे बदल लेते हैं । आवश्यक टिकट जारी किया जाता है । और प्रमाण पत्र को Cash Voucher के रूप में Cash Office भेज देते हैं ।

INF – 3 & INF – 461 — यह फार्म जल सेना के आरक्षित सैनिकों हेतू जारी किया जाता है जब उन्हें प्रशिक्षण हेतू बुलाया जाता है । इसे भी यात्रा करने के पहले टिकट खिड़की से टिकट में बदल लिया जाता है । आवश्यक टिकट जारी करते हैं । प्रमाण पत्र को Cash Voucher के रूप में Cash Office भेजा जाता है । जारी करते समय Certificate की जाँच कर ली जाती है । तथा पूरा किराया इस पर भर देते हैं ।

सैनिक रियायत फार्म (Military Concession Forms)

IAFT 1709 'A' — यह रियायत वाउचर फार्म 'D' है जिसे सैनिक अधिकारी को उसके परिवार के साथ यात्रा करने हेतू जारी किया जाता है । 60% किराया देना पड़ता है जबकि उसे 40% किराया में छूट मिलता है । इसे यात्रा शुरू करने के पहले टिकट खिड़की से बदल लिया जाता है । इस रियायत पर BPT जारी हो सकता है ।

IAFT 1719 – यह रियायत पत्र कैडेट को जारी होता है जो NDA (National Defence Academy), Air Force College, Naval Training Establishment में प्रशिक्षण हेतू जाते हैं उन्हें अपने घर या शहर को जाने हेतू मिलता है । इस पर केवल Ist Class टिकट जारी होता है जहाँ 50% छूट देते हैं और 50% किराया Cash में लेते हैं।

IAFT 1720 — यह JCO रैंक तक के सैनिक को मिलता है जिसमें वे अपने परिवार के अधिकतम 6 सदस्यों के साथ यात्रा कर सकते हैं । 50% किराया में छूट मिलता है । इसे यात्रा शुरू करने के पहले बदल लेते हैं । BPT जारी होता है।

IAFT 1728 — यह रियायत पत्र मिलटरी पेंशनर को मिलता है । जब वे अपने रेजिमेंट को जाते हैं । 50% रियायत उन्हें मिलता है लेकिन उन्हें एक ही बार (एकल यात्रा किराये का) 50% के भुगतान पर डबल यात्रा (वापसी यात्रा) का भी टिकट जारी होता है ।

IAFT 1732 — सैनिक अस्पताल के नर्सों/मेटरन को यह रियायत पत्र जारी किया जाता है । इसपर 50% रियायत मिलता है । इसे यात्रा शुरू करने के पहले टिकट में बदल लेते हैं । इसके बदले BPT जारी किया जा सकता है ।

IAFT 1736 — यह सैनिक व्यक्तियों को उस समय जारी किया जाता है । जब वे किसी Sport/Tournament में शामिल होने जाते हैं । उन्हें 50% की छूट मिलती है । यात्रा शुरू करने के पहले टिकट में बदलना पड़ता है तथा 50% एकल यात्रा किराए के भुगतान पर वापसी यात्रा का टिकट जारी होता है ।

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध (Cognizable and Non–Cognizable Offence)

संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) — यह इस प्रकार का अपराध है जिसमें व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है । ऐसे व्यक्ति को नजदीक के Magistrate के पास 24 घंटा के अन्दर प्रस्तुत करना होता है। जिसमें यात्रा किए गए समय को छोड़ दिया गया है । इसमें रेल अधिनियम 1989 की धारा 137, 145 इत्यादि आते हैं ।

असंज्ञेय अपराध (Non–Cognizable Offence) — यह इस प्रकार का अपराध है जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतू वारंट की आवश्यकता होती है । फिर भी यदि व्यक्ति अतिरिक्त किराया और अतिरिक्त प्रभार देने से मना करता है । या अपना नाम पता बताने से अस्वीकार करता है या किसी कारण ऐसा लगता है कि वह असत्य बोल रहा है । तब वह बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है । जिसे गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अन्दर Magistrate के पास प्रस्तुत करना पड़ता है ।

संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence)	असंज्ञेय अपराध (Non–Cognizable Offence)
धारा – 137	धारा – 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146,. 147	148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155,	153, 159
156, 157, 160, 161, 162, 164,	163, 165, 167, 169, 170
166, 168, 172, 173, 174, 175	171, 176, 177, 178

संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ (Some Important Section Related to Cognizable and Non–Cognizable Offence)

धारा 137 (Section 137) – यह वैसे व्यक्ति पर लागू होता है जो रेल को धोखा देने के इरादा से बिना टिकट यात्रा करता है वैसे व्यक्ति को रू० 1000/– का जुर्माना या 6 माह की कैद या दोनों सजा हो सकती है ।

धारा 138 (Section 138) – वैसे यात्री जो बिना टिकट यात्रा करते हैं लेकिन उनका इरादा रेल को धोखा देना नहीं होता है । ऐसे व्यक्ति से अतिरिक्त किराया और अतिरिक्त प्रभार की वसूली की जाती है ।

धारा 141 (Section 141) – यह बिना किसी उपयुक्त कारण के ACP (Alarm Chain Pulling) करने के कारण रू० 1000/- का जुर्माना या एक वर्ष की कैद या दोनों सजा हो सकती है ।

धारा 142 (Section 142) – यह धारा वैसे व्यक्ति पर लागू होती है जो टिकट का हस्तान्तरण या अदला–बदली करता है । उसे रू० 500/- का जुर्माना या 3 महीने की कैद या दोनों सजा हो सकती है ।

धारा 143 (Section 143) – वैसे व्यक्ति जो टिकट का व्यापार करते है उनको रू० 1000/- का जुर्माना या तीन वर्ष की कैद या दोनो सजा हो सकती है ।

धारा 156 (Section 156) – जब यात्री मना करने के बावजूद भी गाड़ी के छत या पावदान पर यात्रा करता है तो उसे रू० 500/- या 3 माह की कैद या दानों हो सकती है ।

धारा 162 (Section 162) – जब कोई व्यक्ति (पूरूष) महिला डब्बा में चढ़ा हुआ पाया जाता है या चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे Rs. 500/- का जुर्माना देना पड़ता है, उसका टिकट जब्त कर लेते हैं तथा उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है । 12 वर्ष से कम उम्र के लड़के अपने महिला रिश्तेदार के साथ महिला डब्बा में यात्रा कर सकते हैं ।

धारा 164 (Section 164) – जब कोई व्यक्ति खतरनाक समान लेकर यात्रा करता है तो उसे Rs. 1000/- का जुर्माना या 3 वर्ष की कैद या दोनों सजा हो सकती है । यदि उस खतरनाक समान के वजह से कोई नुकसान हुआ है तो वह भी उसे हर्जाने के रूप में देना होगा ।

धारा 167 (Section 167) – जब कोई व्यक्ति यात्री गाड़ी या रेलवे परिसर में धूम्रपान (Smoking) करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे Rs. 200/- का जुर्माना देना पड़ता है ।

धारा 144 (Section 144) – जब बिना अधिकार का कोई रेलवे परिसर या गाड़ी में खरीद ब्रिक्री या भीख मांगता है तो उसे Rs. 2000/- का जुर्माना या 1वर्ष की कैद या दोनों सजा हो सकती है ।

धारा 145 (Section 145) – जब कोई व्यक्ति रेलवे परिसर या रेलगाड़ी में मादक द्रव्य का सेवन करता है तो उसे Rs. 500/- का जुर्माना के साथ 6 माह की कैद की सजा हो सकती है ।

यात्रियों को परिवहन के प्रति रेल की जिम्मेदारी
(Responsibility of Railway as a Carrier of Passenger (Section - 123- 129)

गाड़ी परिचालन के दौरान जब काई दुर्घटना हो जाती है जो गाड़ियों के आपसी टकराव जिसमें एक यात्री गाड़ी है । गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण या अन्य दुर्घटना चाहे वह रेल प्रशासन की किसी गलती या उपेक्षा या अन्य किसी कारण से हुई हो । जिसमें यात्री घायल हो गए हो अथवा उनकी मृत्यु हुई हो या उनके सामानों की क्षति हुई हो तो ऐसी अवस्था में घायल, मृतकों एवं उनके हुए नुकसान के लिए रेलवे जिम्मेवार है । जो निम्न है ।

(i) मृत्यु या पूरी तरह अपंग होने पर Rs. 4,00,000/-

(ii) Scheduled घायल अवस्था में Rs. 32,000/- से Rs. 3, 60,000/- तक

(iii) Non-Scheduled घायल अवस्था में अधिकतम Rs. 80,000/-

भरतीय रेलवे ने 1st August 1994 से "Railway Passenger Scheme" को लाया है इस योजना के अन्तर्गत रेलवे वैसे "Untoward Incident" के कारण हुए मृत्यु, अपंगता पर उपरोक्त विधि से क्षतिपूर्ति करती है ।

Ex–Gratia – यह अनुदान रेलवे प्रशासन द्वारा दुर्घटना या "Untoward Incident" की अवस्था में तत्काल उपलब्ध करायी जाती है । जो रेलवे बोर्ड के अनुसार अग्रलिखित है :—

	In case of Train Accident	In case of Untoward Incident
(i)	मृत्यु की अवस्था में Rs. 50,000/-	Rs. 15,000/-
(ii)	गंभीर रूप से घायल को Rs. 25,000/-	Rs. 5000/-
(iii)	सामान्य घायल को Rs. 5000/-	Rs. 500/-

इन के अलावा भी रेल मंत्रालय भी Ex Gratia भुगतान कर सकता है जो मृत्यु की अवस्था में Rs. 25000/- गंभीर रूप से घायल को Rs. 10,000/-

Untoward Incident (अनापेक्षित दुर्घटना)

(क) वो सभी आतंकवादी गतिविधि जो कि TADA 1987 के धारा 3 के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) डकैती, (ग) दंगा

(घ) दुर्घटना यात्री गाड़ी से किसी यात्री का गिर जाना इत्यादि ।

कोच या स्पेशल ट्रेन बुक करने का नियम (Booking of Coach or Special Train)

(1) स्पेशल ट्रेन या Coach बुक करने हेतू प्रति Coach Rs. 50,000/- पंजीकरण सह सिकयुरटी मनी के रूप में स्टेशन पर जमा करना होता है । जहाँ से यात्रा प्रारम्भ करनी है ।

(2) Security Deposit के बाद इसकी प्रति की कॉपी के साथ एक आवेदन SM के मार्फत आवेदक द्वारा CPTM को आवेदन किया जाता है । जिसमें यात्रा का पूरा विवरण एवं Destination रहता है ।

(3) यात्रा प्रारम्भ करने के 30 दिन पहले से या 6 महीने के भीतर आवेदन करना चाहिए ।

(4) यदि समय 30 दिन से कम हो तो CPTM से अनुमति मिलने पर Coach या ट्रेन बुक किया जा सकता है ।

(5) स्पेशल ट्रेन कम से कम 18 Coach का बुक किया जा सकता है । राजधानी/ शताब्दी जैसी गाड़ी बुक करने हेतू भी कम से कम 18 Coach होना चाहिए ।

(6) इसका न्यूनतम दूरी 500 Km होगा ।

(7) किराया 48 घंटे पूर्व जमा करना होगा । सिक्युरटी मनी (Security Money) का आधा किराया जमा करते समय समायोजित किया जाता है जबकि आधा यात्रा समाप्ति के बाद गाड़ी की जाँच के बाद किसी प्रकार देनदारी तथा फोल्डर के अनुसार यदि कोई Charge है तो वह रकम काट कर वापस की जाएगी ।

(8) इस पर किराया Point To Point आधार पर व्यस्क का M/Exp में पूरा किराया लेते हैं ।

(9) कोच या ट्रेन के क्षमता या यात्री की संख्या जो अधिक हो तथा उसके श्रेणी के अनुसार किराया लेते हैं ।

(10) इसमें किसी प्रकार का रियायत नहीं देते हैं और सभी का पूरा किराया लेते हैं चाहे यात्री, बच्चा, छात्र, वरिष्ठ नागरिक ही क्यों न हो ।

(11) सेवा शुल्क के (Service Charge) रूप में किराये का 30% लेते हैं ।

(12) यदि अतिरिक्त यात्री यात्रा करते हुए पकड़े जाते है तो उनसे अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार वसूलते हैं ।

(13) <u>खाली गाड़ी का परिवहन शुल्क</u> (Empty Haulage Charge)

Empty Haulage Charge कम से कम 200 कि० मी० का लिया जायेगा । यह F.T.R. का 100% होगा । FTR में किराया आरक्षण शुल्क एवं विकास प्रभार शामिल है ।

(14) <u>परिचय पत्र</u> (Identity Card)— बुकिंग के समय यात्रियों की संख्या की सूचना दे दी जाती है । तथा उन सभी का नाम यात्रा प्रारम्भ करने के पहले SM को दे दिया जाता है । जो संस्था या पार्टी इसका व्यवस्था कर रहीं है उसे सभी यात्रियों हेतू परिचय पत्र देना होता है जिसपर SM का हस्ताक्षर और मुहर होता है । ताकि यात्रा के दौरान या बीच के स्टेशनों पर उन्हें प्लेटफार्म इत्यादि जगहों पर पहचान किया जा सके ।

विशेष टिकट (Special Ticket) — यात्रा प्रारम्भ करने वाले स्टेशन का SM विशेष टिकट बनाते हैं जिसमें यात्रियों की वास्तविक संख्या, गाड़ी प्रस्थान का समय, गाड़ी का सज्जा बनावट, यात्रा भंग इत्यादि स्पष्ट रूप से रहता है । पार्टी को एक Folder भी दिया जाता है । आवश्यक Column को SM द्वारा भरा जाता है जिसमें Route, यात्रा विराम रहता है तथा SM का हस्ताक्षर भी होता है । यात्रा समाप्ति के बाद SM को Folder 15 दिन के अन्दर वापस करना होता है । Security Money के बचे हुए आधा रकम को रेलवे के Dues यदि कोई है या रास्ते में अतिरिक्त विलंब का प्रभार कोई है तो उसकी कटौती कर वापस कर दी जाती है ।

विलम्बित शुल्क (Detention Charge) Definition charge 900 रू० प्रति कोच प्रति घन्टा या उसके अंश के आधार पर लिया जाता है । यह सभी गेज पर लागू होता है । जो 1500 रू० से कम नहीं होगा ।

किराए की वापसी (Countermemding Charges)

(i) यदि स्पेशल ट्रेन या कोच की बुकिंग को यात्रा प्रारम्भ करने के एक दिन से और पहले यात्रा रद्दीकरण की जाती है तो Security Deposit का 10% की कटौती कर बाकी रकम वापस की जाती है ।

(ii) यदि रद्दीकरण यात्रा प्रस्थान के समय से 4 घंटा पूर्व तक कराया जाता है तो पूरे किराये का 25% काटकर बाकी रकम वापस कर दी जाती है ।

महिला यात्री हेतू आरक्षित सुविधा
(Reserved Accommodation for Ladies)

रेल प्रशासन ने महिलाओं को कठिनाइयों से बचाने हेतू अलग से यात्री गाड़ियों मे व्यवस्था की हुई है । रेलवे एक्ट 1989 के धारा 58 के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था की गई है । जहाँ गाड़ी के निम्न दर्जे के एक डब्बा को महिला हेतू आरक्षित किया रहता है । कुछ सीट या बर्थ 2S या शयनयान में भी महिला हेतू आरक्षित रहता है जिसे Carmarked किया गया है । उच्च श्रेणी में भी यह व्यवस्था दी जा सकती है जब ट्रेन के प्रस्थान करने के 24 घंटा पूर्व लिखित आवेदन दिया जाता है । 12 वर्ष से कम उम्र के लड़के अपने महिला संबंधी या मित्र के साथ महिला कोच में यात्रा कर सकते हैं ।

यदि कोई पुरूष महिला डब्बा में पाया जाता है या सवार होने की कोशिश करता है तो उसका टिकट या पास जब्त कर लिया जाता है । Rs 500/- का जुर्माना के साथ उसे गाड़ी से उतार भी दिया जाता है । यह रेलवे एक्ट 1989 के धारा 162 में वर्णित है या इसकी व्यवस्था है ।

सामान (Luggage)

लगेज का अर्थ यात्री के उन सामानों से है जो यात्री अपने यात्रा के दौरान जरूरी समान के रूप में ले जाता है अथवा यात्रा के बाद उसके काम आता है और रेलवे को परिवहन हेतू प्रस्तुत करता है । जैसे– बक्सा, फ्रिज, सूटकेश इत्यादि ।

निम्नलिखित वस्तुएँ लगेज के रूप में स्वीकार नहीं होते हैं :—

(i) **बदबूदार वस्तूएँ जैसे मृत जानवरों के गीले चमड़े ।**

(ii) **खतरनाक, विस्फोटक और ज्वलशील वस्तुएँ जैसे – पेट्रोल, किरासन तेल, पटाखें, गैस सिलिण्डर इत्यादि ।**

(iii) **तेल, घी, ग्रीस, पेन्टस जो गिर जाने या रिसने पर दुसरे वस्तुओं को नुकसान पहुँचा सकता है ।**

(iv) **तेजाब आदि जिसका उल्लेख लाल दर सूची (Red Tarrif) अध्याय में किया गया है ।**

(v) **मरी हुई मुर्गियाँ या शिकार**

(vi) **रद्दी कागज या सूखे पत्ते, घास इत्यादि ।**

(vii) **ऐसी अन्य वस्तुएँ जिसके परिवहन हेतू सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है ।**

अपवाद

(i) **जानवरों की खाले जो अच्छी तरह से Air Tight बक्से में पैक की गई है लगेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।**

(ii) **खाली गैस सिलिण्डर गार्ड के ब्रेकयान में बुक हो सकता है ।**

(iii) **सिनेमा फिल्म को सुरक्षात्मक ढंग से पैक होने पर स्वीकार कर सकते हैं ।**

(iv) **सुरक्षा पूर्वक पैक हुआ कारतूस भी स्वीकार हो सकता है ।**

(v) **20 Kg तक घी यदि यात्री अपने साथ ले जा रहा हो । यदि Brake Van में ले जाना चाहता है तो आवश्यक पैकिंग होनी चाहिए ।**

नोट – *एक बाद्ययंत्र, एक प्रोटेबल टेलीविजन और एक बच्चों की तिपहिया साइकिल प्रति व्यक्ति के हिसाब से यात्री के व्यक्तिगत सामान में स्वीकार हो सकता है जिस पर* Free Allowance *भी देते हैं । बाद्ययंत्र के वास्तविक वजन पर, टी०वी० के वास्तविक वजन या आयतन पर प्राप्त वजन जो ज्यादा हो और बच्चों की तिपहिया साइकिल को* 20 Kg *के दर से* Free Allowance *देते हैं । जब उपरोक्त वस्तुएँ प्रतिव्यक्ति एक से अधिक हो तो उस पर* Free Allowance *नहीं देते हैं ।*

(iii) Non-Ac कोच हेतू Rs 130/- Rs. 104/-

(iv) न्यूनतम प्रभार Rs. 600/- Rs. 600/-

किराए की वापसी (Countermemding Charges)

(i) यदि स्पेशल ट्रेन या कोच की बुकिंग को यात्रा प्रारम्भ करने के एक दिन से और पहले यात्रा रद की जाती है तो Security Deposit का 10% की कटौती कर बाकी रकम वापस की जाती है ।

(ii) यदि रद्दीकरण यात्रा प्रस्थान के समय से 4 घंटा पूर्व तक राया जाता है तो पूरे किराये का 25% काटकर बाकी रकम वापस कर दी जाती है ।

महिला यात्री हेतू आरक्षित सुविधा (Reserved Accommodation for Ladies)

रेल प्रशासन ने महिलाओं को कठिनाइयों से बचाने हेतू अलग से यात्री गाड़ियों मे व्यवस्था की हुई है । रेलवे एक्ट 1989 के धारा 58 के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था की गई है । जहाँ गाड़ी के निम्न दर्जे के एक डब्बा को महिला हेतू आरक्षित किया रहता है । कुछ सीट या बर्थ 2S या शयनयान में भी महिला हेतू आरक्षित रहता है जिसे Carmarked किया गया है । उच्च श्रेणी में भी यह व्यवस्था दी जा सकती है जब ट्रेन के प्रस्थान करने के 24 घंटा पूर्व लिखित आवेदन दिया जाता है । 12 वर्ष से कम उम्र के लड़के अपने महिला संबंधी या मित्र के साथ महिला कोच में यात्रा कर सकते हैं ।

यदि कोई पुरूष महिला डब्बा में पाया जाता है या सवार होने की कोशिश करता है तो उसका टिकट या पास जब्त कर लिया जाता है । Rs 500/- का जुर्माना के साथ उसे गाड़ी से उतार भी दिया जाता है । यह रेवले एक्ट 1989 के धारा 162 में वर्णित है या इसकी व्यवस्था है ।

लगेज (Luggage)

लगेज का अर्थ यात्री के उन समानों से है जो यात्री अपने यात्रा के दौरान जरूरी समान के रूप में ले जाता है अथवा यात्रा के बाद उसके काम आता है और रेलवे को परिवहन हेतू प्रस्तुत करता है । जैसे– बक्सा, फ्रिज, सूटकेश इत्यादि ।

NOT FOR PRINT

निम्नलिखित वस्तुएं लगेज के रूप में स्वीकार नहीं होते हैं ।

(i) बदबूदार वस्तूएँ जैसे मृत जानवरों के गीले चमड़े

(ii) खतरनाक, विस्फोटक और ज्वलशील वस्तुएँ जैसे – पेट्रोल, किरासन तेल, पटाखें, गैस सिलिण्डर इत्यादि ।

(iii) तेल, घी, ग्रीस, पेन्टस जो गिर जाने या रिसने पर दुसरे वस्तुओं को नुकसान पहुँचा सकता है ।

(iv) तेजाब आदि जिसका उल्लेख लाल दर सूची (Ret Tarrif) अध्याय में किया गया है ।

(v) मरी हुई मुर्गियाँ या शिकार

(vi) रद्दी कागज या सूखे पत्ते, घास इत्यादि ।

(vii) ऐसी अन्य वस्तुएँ जिसके वरिवहन हेतू सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है ।

अपवाद

(i) जानवरों की खाले जो अच्दी तरह से Air Tight बक्से में पैक की गई है लगेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।

(ii) खाली गैस सिलिण्डर गार्ड के ब्रेकयान में बुक हो सकता है ।

(iii) सिनेमा फिल्म को सुरक्षात्मक ढंग से पैक होने पर स्वीकार कर सकते हैं ।

(iv) सुरक्षा पूर्वक पैक हुआ कारतूस भी स्वीकार हो सकता है ।

(v) 20 Kg तक घी यदि यात्री अपने साथ ले जा रहा हो । यदि Brake Van में ले जाना चाहता है तो आवश्यक पैकिंग होनी चाहिए ।

नोट – एक बाहायंत्र, एक प्रोटेबल टेलीजिवजन और एक बच्चों की तिपहिया साइकिल प्रति व्यक्ति के हिसाब से यात्री के व्यक्ति समान में स्वीकार हो सकता है जिस पर Free Allowance भी देते हैं । वाध यंत्र के वास्तविक वजन पर, टी०वी० के वास्तविक वजन या आयतन पर प्राप्त वजन जो ज्यादा हो और बच्चों की तिपहिया साइकिल को 20 Kg के दर से Free Allowance देते हैं । जब उपरोक्त वस्तुएँ प्रतिव्यक्ति एक से अधिक हो तो उस पर Free

Free Allowance – इसका तात्पर्य है कि लगेज की वह मात्रा जी यात्री अपने यात्रा के दौरान Free ले जा सकता है । यह यात्रा की श्रेणी के अनुसार अलग–अलग होता है । श्रेणी के अनुसार Free Allowance निम्न है ।

श्रेणी	Free Allowance	M.A.
AC First Class	70 Kg.	15 Kg.
AC 2 Tier	50 Kg.	10 Kg.
AC 3 Tier	40 Kg.	10 Kg.
AC Chair Car	40 Kg.	10 Kg.
First Class	50 Kg.	10 Kg.
Sleeper Class	40 Kg.	10 Kg.
Second Class	35 Kg.	10 Kg.
MST/QST Ist Class	15 Kg.	—
MST/QST 2nd Class	10 Kg.	—
MVST	60 Kg.	—

Note - बच्चे टिकट की अवस्था में उपरोक्त वजन का आधा Free Allowance देते है ।

पास पर मिलने वाला Free Allowance

Pass की श्रेणी	Free Allowance
मेटल पास – गोल्ड, सिल्वर, ब्रान्ज	140 Kg.
प्रथम श्रेणी – 'A' Pass	140 Kg
प्रथम श्रेणी	70 Kg
शयनयान / द्वितीय श्रेणी	50 Kg
प्रथम श्रेणी का Attendent	50 Kg
Check Soldier Ticket (किसी भी श्रेणी)	40 kg.
सोल्जर टिकट (किसी भी श्रेणी का)	40 kg.

नोट – पास पर भी बच्चे की अवस्था में Free Allowance का आधा देते हैं ।

मुफ्त वस्तुएँ या मुक्त वस्तुएँ (Free Article) – मुफ्त वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिनको Free Allowance देने हेतू तौला नहीं जाता है । जब यह वस्तुएँ यात्री द्वारा अपने पास रखी जाती है तो वह Free Article की श्रेणी में आती है । अर्थात यात्री ऐसी वस्तुओं को अपने साथ Free ले जा सकता है तथा लगेज बुक करते समय इसका वजन नहीं किया जाता है।

द्वितीय श्रेणी (2nd Class) या शयनयान (SL) में चलने फिरने की छड़ी, छाता, टिफिन, बक्स, पर्स Free Article है जबकि Ist Class, AC, 2 AC, III AC, AC chair Car के लिए चलने फिरने की छड़ी, छाता टिफिन बक्स छोटा बर्फ का बक्स और छोटा Hand Bag या अटैची (जो सूटकेश नहीं हैं) Free Article है ।

लगेज की अधिकतम मात्रा जो Compartment या Brake Van में जा सकता है ।
(Maximum Quantity of luggage in compartment or Brake Van)

लगेज की अधिकतम मात्रा हेतू कोई प्रतिबंध नहीं है । यात्री अपने साथ या Brake Van में जितना चाहे उतना लगेज बुक कर सकता है । जिसमें उसका व्यक्तिगत लगेज या व्यापारिक वस्तुएँ हो सकता है जिसे किसी भी गाड़ी में बुक कर सकता है । लेकिन जब Luggage यात्री के साथ बुक होगा तो Free Allowance देने के बाद सामान्य दर का 1.5 गुणा Charge किया जाएगा ।

अधिकतम आयतन का सूटकेश, बक्स इत्यादि Compartment में ले जाने की माप
(Maximum Dimension of suitcase, boxes etc in compartment)

यात्री के साथ Compartment में निम्न माप तक की वस्तुए बुक की जा सकती है । जिसमें Suitcase, बक्स इत्यादि शामिल है ।

लम्बाइ	=	100 cm
चौड़ाई	=	60 cm
ऊँचाई	=	25 cm

इससे अधिक माप की वस्तुओं को Compartment में यात्री के साथ बुक नहीं किया जा सकता है । तथा इससे अधिक माप वाली वस्तु को Guard के ब्रेक यान में भेज दिया जाएगा या बुक किया जाएगा ।

स्थूल (भारी) वस्तुएँ (Bulky Articles)

ऐसी कोई भी Packet या वस्तु जिसका वजन 100 kg से अधिक है या उसका बाहरी माप 100 cm x 100 cm x 70 cm से अधिक है भारी वस्तुएँ (Bulky Article) कहलाती है । ऐसी वस्तु जिसका बाहरी आयतन का कोई भाग 10 % तक अधिक है लेकिन वजन में 100 Kg से कम है तो उसे Bulky article नहीं कहते हैं ।

Bulky Article पर किसी प्रकार का Free Allowance नहीं देते है बल्कि उस पर सामान्य दर का दो गुणा Charge करते हैं । आयतन (माप) को वजन में बदलने का तरीका :–

28 क्यूबिक dm (Qdm) या उसके भाग पर = 4 kg

न्यूनतम प्रभार्य वजन (Minimum Chargeable Weight)

कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनपर Free Allowance नहीं मिलता है और जिसका प्रभारित वजन रेलवे द्वारा निर्धारित किया गया है । वे निम्न हैं :—

साइकिल	40 Kg
मोपेड 60 CC तक	100 Kg
मोटर साइकिल जो 60 cc से अधिक लेकिन 350 CC से कम हो	200 Kg
मोटर साइकिल जो 350 cc या इससे अधिक हो	250 Kg
स्कूटर	200 Kg
तिपहिया साइकिल	100 Kg
रिक्शा	150 Kg
ऑटो रिक्शा	600 Kg
बकरी / भेड़	40 Kg
कुत्ता ब्रेक भान में	30 Kg
कुत्ता FC या IA में (Compartment)	60 Kg
कुत्ता जो अंधे को रहा दिखाने वाला हो यात्री के साथ FC या IA में	30 Kg
शव	200 Kg

अवस्थायें जब, Free Allowance नहीं दिया जाता
(Free Allowance is not granted in following case)

(i) जिन वस्तुओं का वजन (न्यूनतम) निर्धारित किया गया है उन पर Free Allowance नहीं मिलता है ।

(ii) Bulky Article पर Free Allowance नहीं मिलता है बल्कि उसके माप और वास्तविक वजन जो अधिक हो उसपर सामान्य दर का दो गुना दर से Charge करते हैं ।

(iii) MST/QST टिकट की अवस्था में यदि Free Allowance से अधिक सामान (Luggage) हो तो उसे किसी प्रकार का Free Allowance नहीं देते हैं और पूरे वजन पर Luggage के Scale 'L' पर 6 गुना Charge करते हैं । जो कम से कम Rs. 50/- है ।

लगेज बुक करने का नियम (Procedure for Booking of Luggage)

(i) लगेज जिस गाड़ी में बुक करना है उसके निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए ।

(ii) लगेज बुकिंग के लिए यात्रा टिकट या पास का होना आवश्यक है ।

(iii) यदि लगेज B/Van में बुक होगा तो उसकी पैकिंग नियमानुसार होनी चाहिए । बक्स में ताला लगा होना चाहिए। प्रत्येक Package पर स्टेशन का नाम, गंतव्य स्टेशन का नाम, यात्री का नाम, पूरा पता साफ–साफ लिखा होना चहिए ।

(iv) जिस लगेज पर लिखना संभव न हो उसपर लेबल टाँग या चिपका देते हैं ।

(v) सूटकेश, बक्स इत्यादि जिनका आयतन 100cm x 60 cm x 25 cm से ज्यादा होगा वह Compartment में नहीं जाएगा ।

(vi) यदि लगेज Brake Van में जाएगा तो Forwarding Note भरना अनिवार्य होगा ।

(vii) यात्री को उसके टिकट के श्रेणी के अनुसार Free Allowance देते हैं ।

(viii) लगेज बुक कर के यात्री को लगेज टिकट दिया जाता है ।

(ix) लगेज की Delivery प्लेटफार्म पर हो सकती है ।

(x) लगेज स्केल 'L' दर पर चार्ज किया जाता है ।

(xi) Luggage टिकट का रंग गुलाबी होता है ।

(xii) लगेज का न्यूनतम भाड़ा Rs 30/- होता है ।

(xiii) यदि लगेज यात्री के साथ Compartment में जाएगा तो सामान्य दर सकेल 'L' का 1.5 गुणा Charge करेंगें ।

(xiv) यदि बिना बुक किया लगेज पकड़ा जाता है तो Free Allowance देने के बाद बचे हुए वजन पर सामान्य दर Scale 'L' का 6 गुना Charge करेगें जो कम से कम Rs. 50/- होगा ।

(xv) लगेज टिकट कार्बन विधि द्वारा तीन प्रति में बनता है । इसके सभी कॉलम को सही–सही भरते हैं । F/Note यादि है तो Record के साथ चिपका देते हैं । यात्री प्रति यात्री को दे दी जाती है ।

(xvi) Luggage बुक करने के बाद यात्री के यात्रा टिकट पर 'L' या 'LB' लिख दिया जाता है ।

पार्सल बुक करने का नियम (Procedure for Booking of Parcel)

(i) पार्सल व्यापारिक वस्तु को कहते हैं । इसके साथ यात्रा टिकट आवश्यक नहीं है तथा किसी प्रकार का Free Allowance नहीं देते हैं ।

(ii) पार्सल बुक करने से पहले यह जाँच कर लेनी चाहिए कि अमुक समान (वस्तु) प्रतिबंधित न हो ।

(iii) पार्सल हेतू सामान की पैकिंग दशा रेलवे नियमानुसार होनी चाहिए ।

(iv) पार्सल बुक करने हेतू Forwarding Note भरना आवश्यक है जिसे पार्टी द्वारा स्वयं या उसके Agent द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाएगा ।

(v) पार्सल केवल Brake Van या पार्सल ट्रेन से ही जाएगा ।

(vi) पार्सल बुक करने हेतू PW Bill दिया जाता है जो चार प्रति में बनता है । Record Copy के साथ Forwarding Note को चिपका देते हैं । यात्री प्रति यात्री को, लेखा प्रति लेखा को तथा Guard प्रति पार्सल ले जाने वाली गाड़ी के के गार्ड को दी जाती है ।

(vii) पार्सल की Delivery पार्सल कार्यालय से की जाती है ।

(viii) पार्सल 'R', 'P' और 'S' स्केल पर चार्ज होता है ।

(ix) पार्सल का न्यूनतम भाड़ा Rs 30/- है लेकिन पंजीकृत (Regd.) News Paper / Magazine के लिए Rs. 2/- भी होता है ।

(x) Parcel Way Bill का रंग हरा होता है ।

(xi) Regd. समाचार पत्र, पत्रिकाओं को रियायती दर पर सभी गाड़ियों जिसमें राजधानी एक्सप्रेस भी है सकेल 'S' की 45% दर पर बुक होगी ।

(xii) पार्सल हेतू न्यूनतम दूरी 50 Km है ।

(xiii) पार्सल बुकिंग हेतू सामान (वस्तु) को आयतन और वजन दोनों हिसाब से मापा जाएगा, जिसपर वजन ज्यादा होगा वही Charge होगा ।

(xiv) Bulky Article सामान्य दर का दो गुणा पर चार्ज होगा ।

(xi) पार्सल स्टेशन From से स्टेशन To तक बुकिंग होती है यदि कोई ट्रांजिट (मार्ग में गाड़ी बदलना) है तो स्वीकार नहीं होगा ।

(xvi) बीच के स्टेशन जहाँ गाड़ी 5 मिनट या इससे ज्यादा रूकती है वहीं के लिए पार्सल बुक होगा ।

कुत्ता बुक करने का नियम (Rules for Dog Booking)

(i) कुत्ता केवल IA और FC के यात्री के साथ Compartment में बुक किया जा सकता है । तथा यात्री को 4 या 2 बर्थ का कुप्पा लेना होगा ।

(ii) कुत्ता Compartment में जाने हेतू 60 Kg पर Charge होगा । यदि यह अंधे व्यक्ति को राह दिखाने वाला है तो 30 Kg पर Charge होगा । इसे Scale - 'L' पर बुक करेंगे।

(iii) कुत्ता का न्यूनतम भाड़ा Rs 30/- होगा ।

(iv) यदि कुत्ता यात्री के साथ IA या FC में बिना बुक पकड़ा जाता है तो उसे 60 Kg पर सामान्य दर का 6 गुना Charge करेंगे । यदि अन्य Class में है तो 30 Kg पर Charge होगा जो सामान्य दर का 6 गुना तथा न्यूनतम Rs 50/- तथा कुत्ता को Brake Van में पहुँचा देंगें ।

(v) कुत्ता IA और FC को छोड़कर किसी भी श्रेणी में यात्री के साथ बुक नहीं होगा । अन्य कलास हेतू कुत्ता को Brake Van में बुक होगा । Brake Van से बुक करने के लिए Scale - 'L' + 25% करेंगे।

(vii) कुत्ता को Collor तथा Chain के साथ रखेंगे एवं राह में उसकी देख भाल की जिम्मेवारी मालिक की होगी ।

शव का बुकिंग (Booking of Corpses)

(i) शव, यात्री गाड़ी के Brake Van में Air Tight काफिन में जा सकता है ।

(ii) शव बुक करने से पहले एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसमें यह घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी कि मृत्यु संक्रामक रोग से नहीं हुई है ।

(iii) शव को 200 Kg पर Charge किया जाएगा जो कम से कम Rs 50/- होगा ।

(vi) कुछ जिम्मेवार व्यक्ति किराया देकर उसी गाड़ी से यात्रा करगें जो गंतव्य स्टेशन पर शव की सुपुर्दगी लेंगे ।

(v) यदि सरकारी अस्पताल में मृत्यु हुई हो तो ऐसे शव का बुकिंग मुफ्त होगा ।

खटिया की बुकिंग (Booking of Charpay not in Pieces)

(i) खटिया केवल Brake Van में जाएगा ।

(ii) इसको 40 Kg पर Charge करेगें तथा इस पर कोई Free Allowance नहीं दिया जाएगा ।

(iii) अगर बिना बुक खटिया पकड़ा जाता है तो निर्दिष्ट स्टेशन से पूरे का 6 गुणा भाड़ा लिया जाएगा तथा इसे Brake Van में भेज देगें ।

(vi) यदि खटिया खोलकर लाया गया है तो इसे समान्य Luggage के रूप में ले जा सकते हैं ।

लोक शिकायत (Public Complain)

लोक शिकायत — रेलवे एक सामाजिक संस्था के साथ–साथ व्यापारिक संस्था भी है । इसका मूल उद्देश्य अपने उपयोग कर्त्ताओं से मुनाफा कमाना ही नहीं, बल्कि एक समाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व को भी निभाना है । अपने देश की यह सबसे बड़ी सरकारी सेवा है और इसमें प्रतिदिन करोड़ों लोगों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने दायित्वों एवं सेवाओं को सुचारू रूप देने के लिए रेलवे के साथ लाखों लोगों की एक टीम काम करती है ।

रेलवे अपनी सेवा आम जनों को कई प्रकार से देती है । कोई भी व्यक्ति एक निर्धारित किराया देकर स्वयं या अपने माल को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है । इस सेवा को रेलवे प्रतिदिन हर समय तैयार रहती है । इस सेवा का स्वरूप एवं क्षेत्र काफी बड़ा है । अतः कहीं न कहीं छोटी सी चूक भी एक बड़े लोक शिकायत का रूप ले सकती है जो निम्न रूप में हो सकता है :—

(1) यात्रियों के परिवहन में —

(क) ट्रेनों का समय से न चलना ।

(ख) सवारी डब्बों की खराब स्थिती, साफ सफाई की कमी ।

(ग) टिकट खिड़की की कमी ।

(घ) प्लेटफार्म पर यात्री सेड, विश्रामालय का न होना ।

(ङ) रेलवे वरिसर में शौचालय, बिजली, पानी का न होना

(च) प्लेटफार्म पर खाने–पीने की सही व्यवस्था का न होना ।

(छ) रेलवे कर्मचारी का असहयोगात्मक व्यवहार ।

(ज) यात्रियों की एवं उनके सामान की यात्रा के दौरान सुरक्षा में कमी इसके साथ ही माल ढुलाई में बहुत सारी कठिनाइयाँ एवं परेशानियाँ लोक शिकायत को जन्म देती है ।

(2) माल ढुलाई के संबंध में :–

(क) माल का समय पर न पहुँचना ।

(ख) माल का रास्ते में चोरी हो जाना ।

(ग) Wagon की खराब अवस्था ।

(घ) छोटे व्यापारियों को Booking में विशेष कठिनाई का होना ।

(ङ) पार्सल में माल का निर्धारित जगह पर समय से न पहुँचना ।

(च) दावों के निपटारा में अत्याधिक समय लगाना ।

इसकी संख्या में दिनोदिन बढ़ोतरी की मुख्य कारण निम्न है :—

1986 से रेलवे में उपभोक्ता संरक्षा कानून आने के बाद सारे उपभोक्ता जो कि रेलवे की सेवा लेते हैं । अपने अधिकारों के बारे में अत्याधिक जागरूक हो गए हैं । इसके अन्य निम्नलिखित कारण हैं :–

(क) सेवा में कमी ।

(ख) उपभोक्तावाद में बढ़ोतरी ।

(ग) शिक्षा के स्तर में सुधार ।

(घ) विभिन्न सूचना तकनीकों का आम आदमी तक पहुँचना ।

(ङ) जन सामान्य का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना ।

(च) यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी ।

(छ) उपभोक्ता का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही ।

(ज) रेलवे और उपभोक्ता का रेल कर्मचारियों के बीच तालमेल की कमी ।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ता अपनी गलतियों को छिपाने हेतू रेल प्रशासन पर गलत तरीके से लोक शिकायत का सहारा लेते हैं । जिस गति से देश की आबादी बढ़ी है उसी अनुपात में रेल का विकास न हो पाना भी लोक शिकायत का एक बड़ा कारण है । फिर भी रेलवे आम जनता की सेवा हेतू कई तरह की सुविधाओं का विस्तार कर रहीं है । जैसे —

(क) नई ट्रेनों का परिचालन, तेज गति से गाड़ियों का परिचालन ।

(ख) शताब्दी एवं राजधानी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी ।

(ग) कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण करना एवं SPTM/UTS का प्रचलन ।

(घ) स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाना जहाँ यात्री सुविधा बढ़ी है ।

(ङ) तत्काल आरक्षण की सेवा ।

(च) कई तरह के रियायती यात्रा की शुरूवात ।

(छ) प्लेटफार्म की Level को ऊँचा करना, पानी और बिजली, पंखा की व्यवस्था ।

(ज) नए यात्री कोच का लगना ।

(झ) IVRS द्वारा गाड़ी की सूचना प्रसारित करना ।

(ञ) गाड़ियों में Pantry Car लगाना ।

(ट) बड़े स्टेशन पर विश्रामालय, प्रतिक्षालय, अमानती सामान घर की व्यवस्था करना ।

(ठ) गाड़ियों में ही अप्रिय घटना का FIR करना ।

इसी तरह की अन्य सारी सुविधाओं का बहाल करना साथ ही साथ रेल कर्मचारियों द्वारा रेलवे उपभोक्ता के साथ सरल व्यवाहार बनाए रखना चाहिए जो कि लोक शिकायत का मूख्य कारण भी है । जब अन्य कारण गौण हो जाते हैं तब व्यवहार ऊपर आ जाता है ।

उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है तथा यह रेलवे के लिए एक चुनौती है ।
लोक शिकायत का निपटारा भी जल्द से जल्द कर जनता का दिल जीता जा सकता है :—
यह निम्न स्तरों पर होता है :—

(क)	स्टेशन	<u>सारंश</u>	
(ख)	मंडल मुख्यालय	(1)	सेवा में कमी
(ग)	क्षेत्रीय मुख्यालय	(2)	स्टाफ का गलत व्यवहार
(घ)	रेलवे बोर्ड	(3)	सूचना तकनीक का विस्तार
(ङ)	रेलवे मंत्रालय/मंत्री	(4)	उपभोक्ता वाद में बढ़ोतरी

अपने कम्प्युटरीकृत आरक्षित टिकट को जानना
(Know your Computerised Reservation Ticket)

(1) टिकट के सबसे उपर बांयी तरफ 10 अंकों का पैसेंजर नेम रिकार्ड (PNR) होता है ।

(2) टिकट पर गाड़ी का नम्बर, यात्रा की तिथि, दूरी, व्यस्क और बच्चा छपा होता है ।

(3) टिकट के सबसे उपर दाँयी तरफ 8 अंकों वाला टिकट नम्बर होता है ।

(4) यात्रा की श्रेणी को Short form में लिखा होता है ।
IA - Ist AC, 2A - AC 2 Tier, 3A - Ac 3 Tier, CC - AC
Chair Car, FC - First Class, SL - Sleeper Class, 2S - Second Class

(5) प्रारम्भिक स्टेशन और अंतिम स्टेशन का नाम जहाँ तक के लिए आरक्षण है, छपा होता है ।

(6) टिकट का Status - Confirmed टिकट में Coach No., Berth No. इत्यादि छपा होता है ।

(7) यदि Confirmed नहीं हो तो Running Waiting List No. और Current Waiting List No. छपा होता है । इसके बाद लिंग, उम्र, यात्रा की आधार तथा रियायत का कोड होता है ।

(8) भुगतान किए गए किराया को अंक और शब्द में लिखा होता है जिसमें आरक्षण शुल्क, डेवलपमेंट प्रभार और सुपर फास्ट चार्ज शामिल रहता है ।

(9) गाड़ी का नाम, Boarding स्टेशन का नाम Route कोड में और यात्रा प्रारम्भ करने का तिथि एवं समय छपा होता है ।इसी प्रकार गंतव्य स्टेशन पहुँचने की तिथि एवं समय छपा होता है।

(10) टिकट जारी करने का तिथि, समय, स्टेशन, खिड़की संख्या जहाँ से टिकट बना है ।

रेल यात्री, टिकट का रद्दीकरण और किराए की वापसी नियम
(Railway Passenger Cancellation of Ticket & Refund of Fare Rule)

वापसी नियम (Refund Rule)

भारतीय रेल, रेल उप भोक्ताओं को बेहतर सेवा देने और उनके साथ बेहतर रिश्तों को बनाए रखने हेतू उनके साथ मित्रवत व्यवहार करती है । तथा उसी को ध्यान में रखकर उनके टिकट पर समय सीमा के आधार पर वापसी करने पर धन की वापसी करती है तथा आरक्षित सीट की अवस्था में RAC / Waiting List के यात्रियों के लिए उनसे निवेदन करती है कि वे अपना टिकट समय पर वापस करें जिससे कि वैसे यात्री को Confirmed सुविधा दी जा सके जो निम्न हैं :—

क्र० संख्या	टिकट का प्रकार	रद्दीकरण हेतू समय सीमा	रद्दीकरण प्रभार प्रति व्यक्ति
1.	अप्रयुक्त अनारक्षित टिकट अनारक्षित टिकट जो पूरे दिन के लिए वैध हो (आग्रीम टिकट)	टिकट खरीदने के समय से 3 घंटे तक यात्रा की तिथि से 1 दिन पहले 24 बजे तक	Rs. 30/- Rs. 30
2.	अप्रयुक्त आरक्षित टिकट (Unused Reserved Ticket)	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 48घन्टे से अधिक समय पहले ।	IA के लिए Rs. 240/- 2A, FC के लिए Rs. 200/- SL के लिए Rs. 120/- 2S के लिए Rs. 60/- 3A, CC के लिए Rs. 180/-
	अप्रयुक्त आरक्षित टिकट	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पूर्व 48 घन्टे के अन्दर और गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 12 घंटा पूर्व तक	किराए का 25% (जो उपरोक्त सीधा दर से कम नहीं होगा)
	अप्रयुक्त आरक्षित टिकट	गाड़ी के प्रस्थान के निर्धारित समय से 12 घंटे से 4 घंटे के बीच	कुल किराए का 50% (जो उपरोक्त सीधा दर से कम नहीं होगा)
3.	अप्रयुक्त प्रतिक्षासूची/ RAC टिकट (Unused Wait list/RAC Ticket)	गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय से 30 मिनट तक।	Rs. 60/- (For any class)

क्र० संख्या	टिकट का प्रकार	रद्दीकरण हेतू समय सीमा		रद्दीकरण प्रभार प्रति व्यक्ति
4.	अंशतः प्रयुक्त टिकट (Partial Used Ticket)	जहाँ यात्री यात्रा रोकता है उस स्टेशन पर गाड़ी आगमन के 24 घंटा के अन्दर नोटः बीच के स्टेशन पर जहाँ यात्री यात्रा रोकता है वहाँ नकद वापसी नहीं की जाती है बल्कि TDR जारी किया जाता है ।		यात्रा किए हुए भाग का रकम काट–कर जो 100 Km से कम का नहीं होगा इसके अतिरिक्त 10% काटा जाएगा जब आरक्षण Confirmed नहीं हो । यात्रा के बाद हुए भाग का 50% जहाँ आरक्षण Confirmed है काटकर वापस करेंगे ।
5.	राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी के अंशतः प्रयुक्त टिकट	——		कोई वापसी नहीं क्योंकि यात्रा भंग (Break of Journey) इन ट्रेनों में नहीं होता है ।
6.	AC उपकरण काम न करने पर	यात्रा टिकट के साथा TTE/TS/Guard द्वारा जारी प्रमाण पत्र के जमा करने पर (In printed form)	गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी आगमन के 20 घंटा के अन्दर तक	<u>IA और एक्जूटिभ Class के लिए —</u> IA और FC M/Exp के किराए का अंतर जिनके बीच AC काम न किया है <u>2A, 3A के लिए —</u> 2A, 3A और SL Class M/Exp के किराए का अंतर जहाँ AC काम न किया है । <u>ACCC के लिए —</u> ACCC और 2S M/Exp के किराए का अंतर जहाँ AC काम न किया है ।
7.	सुविधा नहीं मिलने के कारण निम्न Class में यात्रा करने पर	यात्रा टिकट के साथा TTE/TS/Guard द्वारा जारी प्रमाण पत्र के जमा करने पर (In printed form)	प्रमाण पत्र के जारी के तिथि को छोड़कर दो दिन के अंदर	जिस श्रेणी में यात्रा किया गया और जिसके लिए किराया दिया गया उसके बीच का अंतर
8.	यात्रा प्रारम्भ करने के स्टेशन पर गाड़ी के तीन घंटा से ज्यादा विलंब होने पर	यात्रा प्रारम्भ करने वाले स्टेशन पर टिकट जमा करने पर	गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान से पहले	पूरा किराया बिना किसी कटौती के वापस होगी ।

क्र० संख्या	टिकट का प्रकार	अवस्था	वापसी हेतू समय सीमा	रद्दीकरण प्रभार प्रति व्यक्ति
9.	आरक्षित यात्रियों को सुविधा न देने पर	यात्रा प्रारम्भ करने वाले स्टेशन पर टिकट जमा	गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के तीन घंटे के अन्दर तक	बिना किसी कटौती के पूरा किराया वापस होगा ।
10.	गाड़ी के प्रस्थान समय को पहले किए जाने पर	यात्रा प्रारम्भ करने वाले स्टेशन पर टिकट जमा करना	गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान और पुराने प्रस्थान समय के बाद भी 3 घंटे के अन्दर यह व्यवस्था केवल जब गाड़ी के प्रस्थान समय को पहले किया जाता है उसके लागू होने के 7 दिन तक मान्य है	क्लर्केज चार्ज (Clerkage Charge) के रूप में काटकर किराया वापस होगा ।
11.	यात्री गाड़ी का मार्ग बदलना (क) जब रेलवे द्वारा कोई अन्य व्यवस्था नहीं होती है ।	टिकट को जमा करना है ।	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 3 दिन के भीतर	पूरे किराया की वापसी होती है ।
	(ख) रेल रोको, बन्द या इसी प्रकार के रूकावट पर रेलवे द्वारा उपलब्ध अन्य मार्ग को यात्री द्वारा अस्वीकार करने पर	टिकट को जमा करना है ।	वापसी, यात्रा रोकने वाले स्टेशन पर होगी ।	आंशिक किराया की वापसी होती है ।
	(ग) गाड़ी का दुर्घटना, बाढ़ या रेल टूटना इत्यादि के कारण रद्द होना ।	टिकट को जमा करना है ।	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के 3 दिन के भीतर	पूरे किराया की वापसी होती है ।
	(घ) ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु घायल होने पर	यात्री के संबंधी द्वारा टिकट जमा करने पर	गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के 3 दिन के भीतर	पूरे किराया की वापसी होती है ।

निर्धारित समय सीमा के बाद की वापसी
(Refund after the prescribed time limits)

यदि यात्री द्वारा समय सीमा के अन्दर अपने टिकट का रद्दीकरण (Cancellation) नहीं कराया गया है तो वे Dy SM (Com) जो महत्वपूर्ण स्टेशन पर रहते हैं, नामांकित आरक्षण पर्यवेक्षक, नामांकित स्टेशन के SM जो स्टेशन Index में दिया गया है ये सभी अपने स्टेशन से जारी किए गए टिकट पर यात्री द्वारा विलम्ब से वापसी का कारण पर संतुष्ट हो कर टिकट रद्द कर सकते हैं ।

यदि यात्री द्वारा इन अधिकारी से वापसी नहीं मिलती है जो समय सीमा के बाहर है उन्हें अपने नजदीक के रेलवे स्टेशन से यात्रा के दिन से 3 दिन के अन्दर टिकट जमा कर TDR ले लेना याहिए । TDR के यात्री प्रति के साथ Sr. DCM या CCM (R) को वापसी हेतू आवेदन करना पड़ता है ।

नोट — *(क) टिकट के रद्दीकरण में वापसी हेतू किराए में आरक्षण तथा सुपर फास्ट गाड़ियों का अनपूरक प्रभार शामिल है ।*

(ख) RAC *एवं* W/L *टिकट के संदर्भ में रात में प्रस्थान करने वाली गाड़ी जो* 21 *बजे से* 06 *बजे प्रातः के बीच प्रस्थान करती है वहाँ आरक्षण खिड़की खुलने के* 2 *घंटे के भीतर तक ही वापसी होगी बशर्ते की वहाँ पर* Current Reservation *की सुविधा न हो।*

(ग) चुने हुए स्टेशनों पर PRS *टिकट का रद्दीकरण के लिए रात में भी व्यवस्था है ।*

खोए हुए या कटे–फटे टिकट पर वापसी
(Refund on Lost Multilate Ticket)

खोए हुए टिकट के लिए कोई वापसी नहीं होती है । फिर भी यात्री द्वारा Duplicate टिकट के Charge को जमा करने पर यात्रा की अनुमति दी जा सकती है तथा यह सूचित किया जाता है कि खोए टिकट की जानकारी अविलम्ब आरक्षण कार्यालय को देना चाहिए जिससे कि उसको धोखा से वापसी न ली जा सके । कटे–फटे टिकट जिसपर आवश्यक जानकारी पढ़ी जा सके तथा जिसकी सत्यता सिद्ध हो जाए उसपर वापसी हो सकती है ।

खोए टिकट या कटे–फटे टिकट के बदले Duplicate टिकट बनाना
(Issue of Duplicate Ticket in liea of Lost /Mutilated Ticket)

आरक्षण चार्ट बनने के पहले Duplicate टिकट बनाने का Charge निम्न है :—

Duplicate Ticket बनाने के लिये SL एवं 2S के लिए 50/- रूपया प्रति यात्री एवं दूसरे Class के लिए 100/- रू० प्रति यात्री लिया जाएगा जो Refund नहीं होगा।

आरक्षण चार्ट बनने के बाद Duplicate टिकट बनाने का प्रभार निम्न है ।

(i) आरक्षित टिकट की अवस्था में यदि कटा–फटा है तो 25% लेकर जो कम से कम Confirmed/RAC होना चाहिए । नया Duplicate टिकट बना सकते हैं ।

(ii) यदि टिकट का Status waiting हो तो Duplicate टिकट नहीं बनेगा ।

(iii) आरक्षित टिकट यदि खो गया है तो 50% लेकर नया Duplicate टिकट बना सकते हैं । जो कम से कम Confirmed हो ।

(iv) यदि टिकट का Status Waiting or RAC हो तो Duplicate टिकट नहीं बनेगा।

टिकट के दूसरी प्रति पर धन वापसी
(Refund on duplicate ticket)

यदि खोया हुआ टिकट मिल जाता है और इसे गाड़ी प्रस्थान से पहले Duplicate टिकट के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो जितनी रकम Duplicate टिकट हेतू भुगतान की है उसका 5% काटकर वापस की जाती है जो न्यूनतम Rs 20/- होगा ।

तत्काल सेवा (Tatkal Reservation)

यात्रियों को अपनी यात्रा का योजना पहले बनाकर आरक्षण लेना चाहिए । किन्तु यह सदैव संभव नहीं होता है तथा विशेष परिस्थिति में यात्री को अचानक यात्रा करनी पड़ती है । इस प्रकार के यात्रा हेतू रेलवे ने तत्काल आरक्षण सेवा (Tatkal Reservation Scheme) चालू की है जो इस समय राजधानी, शताब्दी एवं जन शताब्दी सहित सभी गाड़ियों में उपलब्ध है । इसे गाड़ी प्रस्थान 01 दिन अग्रिम से खरीदा जा सकता है । इसमें यात्री को यात्रा के किराए के अलावा कुछ अतिरिक्त रकम देनी पड़ती है जा निम्न हैं :–

श्रेणी	न्यूनतम दूरी	तत्काल चार्ज	न्यूनतम चार्ज	अधिकतम चार्ज
2A	500	मूल किराया का 30%	Rs 400/-	Rs. 500/-
3A	500	मूल किराया का 30%	Rs 300/-	Rs. 400/-
CC	250	मूल किराया का 30%	Rs 125/-	Rs. 225/-
SL	500	मूल किराया का 30%	Rs 100/-	Rs. 200/-
2S	100	मूल किराया का 10%	Rs 10/-	Rs. 15/-
Exe. Class	250/-	मूल किराया का 30%	Rs. 400/-	Rs. 500/-

Tatkal Quota इस प्रकार से होगा –

2A के लिए 4 बर्थ प्रति कोच

3A के लिए 6 बर्थ प्रति कोच

CC के लिए 6 सीट प्रति कोच

SL के लिए पूरे बर्थ का 10% या अधिकतम एक कोच

Executive पूरे बर्थ का 10% i.e. 5 सीट पर कोच

Enhanced Tatkal Quota

जिस ट्रेन में **Tatkal Quota** का 80% या उससे अधिक की बुकिंग होती है वैसे ट्रेनों में **Tatkal Quota** को बढ़ाया गया है जो इस प्रकार है।

2A के लिए 10 बर्थ प्रति कोच

3A के लिए 16 बर्थ प्रति कोच

CC के लिए 16 बर्थ प्रति कोच

SL के लिए 30% बर्थ प्रति कोच

फोटो परिचय पत्र की आवश्यकता है तथा यात्री को किसी प्रकार का Concession नहीं मिलता है । इस पर पूरा किराया लगता है । तथा इसमें अब Waiting list (बहुत कम मात्रा में) का टिकट भी बनता है जो बर्थ खाली होने पर मिलता है । चार्ट बनने के बाद सभी बर्थ/सीट सामान्य जैसे व्यवहार होता है । तत्काल आरक्षण सेवा के अन्तर्गत यदि Confirm टिकट है तो किराया वापस नहीं की जायेगी। फिर भी जहाँ रेलवे टिकट पर अंकित सेवा देने में असमर्थ होती है तो पूरा किराया वापस होता है । गाड़ी जब 3 घंटे अधिक देरी से चल रही है तब टिकट वापसी हेतू प्रस्तुत किया जाय तो पूरा किराया वापस होता है तत्काल चार्ज सहित। यदि W/L है तो 60/– रू० लिपिकीय प्रभार काट कर तत्काल चार्ज सहित किराया वापस होगा।

तत्काल में टिकट किसी ट्रेन के लिए किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक के लिए मिलता है । तत्काल स्कीम से टिकट लेते समय फोटो पहचान पत्र का होना आवश्यक नहीं है । यात्रा के दौरान पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य है।

गार्ड प्रमाण पत्र (Guard Certificate)

सामान्य अर्थ में यह यात्रा करने की अनुमति है जब यात्री समय अभाव या अन्य कारण से टिकट नहीं ले सका और यात्रा करना चाहता है तो वह गार्ड से मिलकर अपनी इच्छित श्रेणी के अनुसार यात्रा की अनुमति माँगेगेा । उसे अनुमति किराए के चुकाने के शर्त पर दी जा सकती है तथा गार्ड प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

यह प्रमाण पत्र फार्म नं० Com P/44 में जारी किया जाता है जिसे गार्ड प्रमाण पत्र कहते हैं । इसमें यात्री किराया देने के लिए बाध्य है । इसका नया फार्म नं० Com/T/246 होता है।

गार्ड Certificate निम्न अवस्था में जारी होता है ।

(i) जब कोई यात्री समय अभाव के कारण यात्रा टिकट नहीं खरीद सका और यात्रा शुरू करने के पहले गार्ड को सूचित करता है तथा प्लेटफार्म टिकट प्रस्तुत करने पर ही जारी होगा फिर भी जिन स्टेशनों से प्लेटफार्म टिकट नहीं मिलता है वहाँ से यात्रा कर रहे यात्री को इसके बिना भी Guard Certificate दे सकते हैं ।

(ii) जब कोई यात्री निम्नश्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहता है ।

(iii) जब यात्री Ordinary ट्रेन से M/EXP या दूरी प्रतिबंधित गाड़ी से आरंभिक या बीच स्टेशन से यात्रा करना चाहता है ।

(iv) जब सैनिक कर्मचारी अपने वारंट IAFT 1752,और IAFT 1707 के बदले टिकट न ले सका हो और यात्रा शुरू करने से पहले गार्ड को सूचित करता है ।

(v) जब सैनिक कर्मचारी अपने रियायती प्रमाण पत्र IAFT 1720, IAFT 1728 और IAFT 1736 के बदले टिकट न ले सका हो और यात्रा शुरू करने के पहले सूचित करता है ।

(vi) जब यात्री निम्न श्रेणी में यात्रा के लिए बाध्य है ।

(vii) जब AC उपकरण काम नहीं करता है तब किराए की वापसी हेतू यह प्रमाण पत्र जारी होगा ।

गार्ड प्रमाण पत्र निम्न आवस्था में जारी नहीं होता है
(Guard Certificate not issued in following condition)

(i) जब यात्री यात्रा शुरू करने के बाद सूचित करता है ।

(ii) सैनिक वारंट IAFT 1752, IAFT 1707 एवं रियायत पत्र IAFT 1720, IAFT 1728 एवं IAFT 1736 के अलावे बिना Exchange किए हुए अन्य वारंट या रियायत पर Guard Certificate नहीं बनता है ।

(iii) बिना बदले हुए PTO पर नहीं जारी किया जाता है ।

(iv) Unbooked समान या जानवरों को गार्ड प्रमाण पत्र नहीं देते हैं ।

(v) उपनगरीय (Suburban) क्षेत्र के यात्री को नहीं जारी होता है ।

गार्ड प्रमाण पत्र जारी करने वाले व्यक्ति निम्न है :—

(i) ट्रेन का गार्ड

(ii) कोच कन्डकटर

गार्ड प्रमाण पत्र का निपटारा :—

गार्ड प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में बनता है । यह किताब के रूप में होता है । इसे कार्बन विधि से तैयार करते हैं । पहली प्रति Account की, दूरी प्रति यात्री की और तीसरी प्रति Record होता है । इसमें यात्री प्रति यात्री को दी जाती है तथा TTE द्वारा EFT अवश्य बनायी जाती है तथा EFT का नम्बर गार्ड प्रमाण पत्र के सभी प्रतियों में दर्ज की जाती है। इसमें सामान्य किराया ही लेते हैं । किसी प्रकार का अन्य प्रभार नहीं लगता है । गार्ड प्रमाण पत्र की Accounts प्रति को महीने के अंत में Accounts Office भेजा जाता है । यह CAO/TA को भेजा जाता है ।

प्लेटफार्म टिकट (Platform Ticket)

(i) प्लेटफार्म टिकट किसी व्यक्ति को स्टेशन–प्लेटफार्म परिसर में आने की अनुमति दिलाता है ।
(ii) इसका भारतीय रेल में सभी स्टेशन हेतू एक दर है और खरीदने के समय से दो घंटे तक मान्य होता है ।
(iii) प्लेटफार्म टिकट पर किसी तरह का Refund नहीं होता है ।
(iv) प्लेटफार्म टिकट पर यात्री यात्रा नहीं कर सकता है तथा वह Compartment में भी नहीं जा सकता है यदि यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो बिना टिकट समझा जाएगा ।
(v) प्लेटफार्म टिकट के आधार पर Guard Certificate जारी हो सकता हैं ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को प्लेटफार्म टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है :—

(i) रेल कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो ।
(ii) RMS के कर्मचारी जो ड्यूटी पर है ।
(iii) लाइसेंस धारी कूली, पोर्टर
(iv) I Card के साथ Custom विभाग के अधिकारी जो ड्यूटी पर हों
(v) सरकारी रेलवे और Military पुलिस जो वर्दी में हो

प्लेटफार्म परमिट (Platform Permit)

(i) प्लेटफार्म परमिट वैसे व्यक्ति को जारी होता है जो नियमित और प्रतिदिन प्लेटफार्म पर आता है ।
(ii) यह Sr. DCM कार्यालय से जारी किया जाता है ।
(iii) इसका रेट स्टेशन और मान्य अवधि के अनुसार अलग–अलग होता है ।
(iv) इसे मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, और वार्षिक के अनुसार जारी किया जाता है ।
(v) इसका रेट निम्न है ।

	बड़े स्टेशन का	अन्य स्टेशन का
मासिक	Rs 15/-	Rs 12/-
त्रैमासिक	Rs 45/-	Rs 36/-
अर्द्धवार्षिक	Rs 90/-	Rs 72/-
वार्षिक	Rs 180/-	Rs 144/-

(vi) इसे कैलेण्डर Month के हिसाब से जारी किया जाता है अर्थात किसी महीने के प्रथम दिन से आखरी दिन तक ।
(vii) प्लेटफार्म परमिट में यात्री (व्यक्ति) का नाम, जारी करने का तिथि, मान्य अवधि, स्टेशन का नाम, रकम इत्यादि भरा होता है ।
(viii) यह रियायती दर या निःशुल्क भी जारी होता है ।

अन्तर (Differences)

कार्ड टिकट (Card Ticket)	पेपर टिकट (Paper Ticket)
(i) कार्ड टिकट एक कुट का टुकड़ा है ।	(i) पेपर टिकट छपी हुई किताब के रूप में होता है ।
(ii) इसमें किराया, दूरी, स्टेशन से स्टेशन तक, गाड़ी का प्रकार, श्रेणी, वरास्ता इत्यादि छपा होता है ।	(ii) पेपर टिकट में दूरी, किराया, स्टेशन से, स्टेशन तक इत्यादि हाथ से लिखा जाता है ।
(iii) कार्ड टिकट रख–रखाव में पेपर टिकट की अपेक्षा कठिनाई होती है ।	(iii) पेपर टिकट के रख–रखाव में आसानी होती है ।
(iv) इसे जारी करने में कम समय लगता है ।	(iv) इसे जारी करने में ज्यादा समय लगता है , क्योंकि कार्ब्रन विधि द्वारा पूरा विवरण भरना पड़ता है ।
(v) कार्ड टिकट जारी करते वक्त, समय एवं दिनांक हाथ या मशीन द्वारा डालते हैं ।	(v) पेपर टिकट पर जारी करने का दिनांक हाथ से लिखते हैं ।
(vi) कार्ड टिकट का रंग यात्रा की श्रेणी के अनुसार होता है ।	(vi) इसमें यात्रा की श्रेणी के अनुसार रंग नहीं होता है ।

इण्डरेल पास टिकट	टूरिस्ट कुपन टिकट
(i) यह एक कार्ड टिकट है ।	(i) यह एक पेपर टिकट है ।
(ii) यह विदेशी यात्री या अप्रवासी भारतीय को जिनके पास वैध पासपोर्ट और वीजा हो, मिलता है । इस पर देश का नाम, यात्री का नाम, पासपोर्ट का नं० होता है ।	(ii) यह विदेशी पर्यटक और भारतीय को जारी किया जाता है ।
(iii) यह भारत में Rail Travel Agent तथा विदेशों में General Sale Agent द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।	(iii) यह केवल अधिकृत पर्यटन ऐजेण्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।
(iv) यह सभी श्रेणी हेतू जारी होता है ।	(iv) यह IA, 2A, 3A और 2S के लिए जारी होता है ।
(v) इसमें किराया डालर या पाउण्ड स्टर्लिंग में ली जाती है ।	(v) इसमें ऐसा जरूरी नहीं है ।
(vi) यह पूरे भारत में मान्य है ।	(vi) इसमें Station form और Station to लिखा होता है ।
(vii) इसे जारी करने के 1 वर्ष के भीतर उपयोग कर लेना होता है ।	(vi) इसे जारी करने के छः महीने के भीतर उपयोग कर लेना होता है ।

कोरा कागज टिकट **BPT**	अतिरिक्त किराया टिकट **EFT**
(i) BPT का मतलब Blank, Paper Ticket होता है ।	(i) EFT का अर्थ Excess Fare Ticket होता है ।
(ii) BPT बुकिंग कार्यालय द्वारा जारी होता है ।	(ii) EFT बुकिंग कार्यालय या चेकिंग स्टाफ द्वारा जारी होता है ।
(iii) इसमें किराया के साथ आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट चार्ज, संरक्षा प्रभार लिया जाता है ।	(iii) इसमें किराया के साथ अतिरिक्त किराया और अतिरिक्त प्रभार लिया जाता है ।
(iv) PTO या अन्य Concession टिकट को बनाते समय BPT जारी किया जाता है ।	(iv) Check Soldier या Season ticket नहीं रहने पर इसे जारी किया जाता है ।
(v) यदि गंतव्य स्टेशन 200 Km के अन्दर है तो कार्ड टिकट नहीं रहने पर BPT जारी होगा ।	(v) यदि 200 Km से अधिक दूरी का गंतव्य स्टेशन है तो अधिकतम दूरी जहाँ तक के लिए PCT है जारी कर EFT द्वारा विस्तार किया जाता है ।
(vi) BPT का रंग गुलाबी होता है ।	(vi) EFT का रंग सफेद होता है ।

प्लेटफार्म टिकट (Platform Ticket)	प्लेटफार्म परमिट (Platform Permit)
(i) प्लेटफार्म टिकट स्टैण्डर्ड साइज का कार्ड टिकट होता है ।	(i) यह Non Standard Size का कार्ड टिकट होता है ।
(ii) यह जारी होने के दो घंटे तक मान्य होता है ।	(ii) यह जारी होने के 1 महीने, 3 महीने 6 महीने और 1 वर्ष के लिए मान्य होता है ।
(iii) यह बुकिंग कार्यालय से जारी होता है ।	(iii) यह Sr. DCM कार्यालय से जारी किया जाता है ।
(iv) इसका पूरे भारतीय रेल में एक दर है जो इस समय Rs. 10/- है ।	(iv) इसका दर स्टेशन और मान्य अवधि के अनुसार भिन्न भिन्न होता है ।
(v) इसे Concession या Free नहीं जारी करते हैं ।	(v) यह Free तथा Concession पर भी जारी होता है ।
(vi) यह सभी व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है ।	(vi) यह वैसे व्यक्ति को जारी होता है जिसे प्लेट–फार्म पर नियमित रूप से आना जाना और काम हो ।
(vii) प्लेटफार्म टिकट को TC द्वारा जमा कर TA कार्यालय भेजा जाता है ।	(vii) इसे न तो TC द्वारा जमा किया जाता है और न ही TA कार्यालय भेजा जाता है ।
(viii) इसके आधार पर Guard Certificate जारी कर सकते हैं ।	(viii) इसके आधार पर गार्ड सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है ।

MST/QST	MVST
(i) MST/QST एक महीने या तीन महीने हेतू जारी किया जाता है ।	(i) MVST केवल एक महीने के लिए जारी होता है ।
(ii) MST/QST का IInd या FC के लिए जारी किया जा सकता है ।	(ii) MVST को केवल IInd के लिए जारी करते है।
(iii) MST/QST को IInd के लिए FA 10 kg FC के लिए FA 15 kg है ।	(iii) MVST के लिए FA 60 kg है ।
(iv) MST का किराया, तालिका (Fare Table) से लेते हैं जबकि QST का किराया MST का 2.7 गुणा लेते हैं ।	(iv) MVST का किराया MST के किराया का 1.5 गुणा होता है ।
(v) MST/QST पर Concession दिया जाता है ।	(v) MVST पर Concession नहीं दिया जाता है ।
(vi) MST/QST टिकट का यात्री यात्रा विराम मार्गमें कहीं भी कर सकता है । पृष्ठांकन भी आवश्यक नहीं है ।	(vi) MVST मार्ग में यात्रा विराम तो कर सकता है लेकिन वह स्टेशन अंतिम स्टेशन होगा तथा उस दिन उसे वहां से वापस आना होगा ।
(vii) MST/QST में गाड़ी का नम्बर नहीं होता है ।	(vii) MVST में गाड़ी का नम्बर दिया रहता है जिससे वह यात्रा कर रहा है ।
(viii) MST/QST के यात्री सवारी गाड़ी या Exp. से यात्रा कर सकते हैं लेकिन आरक्षित डब्बा में नहीं जाएगें तथा भुगतान पर Seat या Super Fast में जा सकते हैं ।	(viii) MVST यात्री केवल सवारी गाड़ी से तथा उसके लिए निर्धारित डिब्बे में ही जाएगा ।

सैनिक जाँच टिकट (Check Soldier Ticket)	सैनिक टिकट (Soldier Ticket)
(i) यह Military Warrant IAFT 1752 के बदले जारी होता है ।	(i) यह Military Warrant IAFT 1707, IAFT 1707 'A' के बदले जारी होता है ।
(ii) यह एक कार्ड टिकट है ।	(ii) सोल्जर टिकट एक पेपर टिकट है ।
(iii) CST एकल यात्रा या वापसी यात्रा के लिए अलग–अलग नम्बर होता है ।	(iii) ST में एकल यात्रा या वापसी यात्रा दोनों के लिए एक ही नम्बर होता है ।
(iv) Military व्यक्ति जब अकेले ड्यूटी पर या घर आता है या जाता है तो CST जारी होता है ।	(iv) यह Military द्वारा परिवार के साथ या ग्रुप में यात्रा करने पर जारी किया जाता है ।
(v) इसमें Station To प्रिंट नहीं होता है । अर्थात इसे किसी भी स्टेशन हेतू जारी किया जा सकता है ।	(v) Station To सोल्जर टिकट के मुख्य कॉलम में लिख देते हैं ।
(vi) CST केवल यात्रा टिकट होता है ।	(vi) ST में यात्रा टिकट के अलावा Guard Foil भी होता है जो Baggage हेतू गार्ड को देते हैं ।

UTS Ticket	PRS Ticekt
(i) UTS का अर्थ Unreserved Ticketing System है ।	(i) PRS का अर्थ Passenger Reservation System है ।
(ii) UTS बुकिंग कार्यालय से जारी होता है ।	(ii) PRS टिकट कम्प्युटर आरक्षण कार्यालय से जारी होता है ।
(iii) UTS टिकट एक अनारक्षित टिकट है ।	(iii) PRS टिकट एक आरक्षित टिकट है ।
(iv) UTS टिकट पर अधिकतम 4 व्यस्क या बच्चा के लिए जारी किया जाता है ।	(iv) PRS टिकट पर अधिकतम 6 यात्रियों के लिए जारी किया जाता है ।
(v) UTS टिकट कि लिए मांग पत्र की आवश्यकता नहीं है ।	(v) PRS टिकट के लिए लिखित मांग पत्र की आवश्यकता होती है ।
(vi) UTS टिकट में PNR नहीं होता है । बल्कि टिकट नम्बर होता है जो 8 अंको का है ।	(vi) PRS में PNR का न० होता है जो 10 अंक का होता होता है तथा टिकट न० 8 अंक का होता है
(vii) UTS टिकट के रोल मे 500 टिकट होता है	(vii) PRS टिकट के रोल में 200 टिकट होता है ।

लगेज (Luggage)	पार्सल (Parcel)
(i) लगेज का अर्थ यात्री के घरेलु सामान से है ।	(i) पार्सल का अर्थ व्यापारिक सामान से है ।
(ii) जब लगेज बुक किया जाता है तब यात्रा टिकट या पास आवश्यक होता है	(ii) जब पार्सल बुक होता है तब टिकट या पास आवश्यक नहीं होता है ।
(iii) लगेज पर यात्री के टिकट के श्रेणी के अनुसार Free allowance देतें है ।	(iii) पार्सल बुक हेतू किसी प्रकार का Free allowance नहीं देते है ।
(iv) लगेज यात्री के साथ compartment या गार्ड के Brake Van में बुक होता है ।	(iv) पार्सल केवल Guard के Brake Van में बुक होता है । या पार्सल ट्रेन में बुक होगा ।
(v) जब लगेज यात्री के साथ बुक होगा तो Forwarding नोट नहीं चाहिए तथा जब Brake Van में बुक होगा तो Forwarding Note भरना पड़ता है ।	(v) पार्सल हेतू सदैव Forwarding Note भरा जात है ।
(vi) लगेज, लगेज टिकट पर बुक होता है ।	(vi) पार्सल PW bill पर बुक होता है ।
(vii) लगेज हेतू न्यूनतम भाड़ा Rs. 30/- होता है ।	(vii) पार्सल का न्यूनतम भाड़ा Rs. 30/- होता है लेकिन पंजीकृत (Regd.) समाचार पत्र–पात्रिकाओं हेतू Rs. 2/- होता है ।
(viii) लगेज Re-book नहीं होता है ।	(viii) पार्सल Re-book होता है ।
(ix) लगेज की Delivery प्लेटफार्म पर हो सकती है ।	(ix) पार्सल की Delivery पार्सल कार्यालय में होती है ।

(x) लगेज Scale 'L' पर चार्ज किया जाता है ।	(x) पार्सल Scale 'R' 'P' और 'S' पर चार्ज होता है ।
(xi) लगेज टिकट का रंग गुलाबी होता है ।	(xi) पार्सल वे बिल का रंग हरा होता है ।

धारा – **137** (Section 137)	धारा – **138** (Section - 138)
(i) यह एक संज्ञेय अपराध है ।	(i) यह एक असंज्ञेय अपराध है ।
(ii) यह गैर जमानती अपराध है ।	(ii) यह जमानती अपराध है ।
(iii) धारा –137 में यात्री का उद्देश्य रेलवे को धोखा देना होता है ।	(iii) धारा –138 में यात्री में यात्री का उद्देश्य रेलवे को धोखा देना नहीं होता है ।
(iv) इसमें रेल कर्मचारी अतिरिक्त किराया और अतिरिक्त प्रभार नहीं वसूल सकता है ।	(iv) इसमें रेल कर्मचारी अतिरिक्त किराया व अति–रिक्त प्रभार वसूल कर सकता है ।
(v) इसमें 6 महीने की सजा या Rs 1000/- का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है ।	(v) इसमें अतिरिक्त किराया और अतिरिक्त प्रभार के साथ अधिक से अधिक **1** माह की कैद की सजा हो सकती है ।
(vi) अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार रेलवे कोष में तथा जुर्माना की राशि राजकीय कोष में जमा होती है ।	(vi) अतिरिक्त किराया व अतिरिक्त प्रभार रेलवे कोष में जमा होता है ।
(vii) इसमें यात्री को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 179 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाएगा ।	(vi) इसमें यात्री को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 180 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाएगा ।

कुछ महत्वपूर्ण धारायें :–

धारा 141 – अलार्म चैनपुलिंग
धारा 142 – टिकट की बदली
धारा 143 – गैर कानूनी रूप से टिकट की बिक्री
धारा 144 – रेल परिसर अथवा ट्रेन में भीख मांगना और बिना अनुमति के सामान बेचना।
धारा 145 – नशे की हालत में होना और आपत्तिजनक व्यवहार (कार्य) करना
धारा 146 – रेल कर्मचारी को उनके कार्य में बाधा पहुँचाना।
धारा 147 – अनाधिकार प्रवेश करना।
धारा 151 – रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।
धारा 156 – इंजन पर, ट्रेन के छत पर, पावदान पर यात्रा करना।
धारा 157 – पास और टिकट पर छेड़ छाड़ करना।
धारा 162 – महिला डिब्बे में यात्रा करना।
धारा 164 – खतरनाक, विस्फोटक तथा ज्वलनशील पदार्थ को रेलवे कम्पार्टमेंट में ले जाना।

निपर (NIPPER)

निपर का अभिप्राय ऐसे उपकरण से है जिसे रेल प्रशासन द्वारा टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों को जारी किया जाता है । निपर चार प्रकार के होते हैं ।

(i) गेट निपर (Gate Nipper)
(ii) चेकिंग निपर (Checking Nipper)
(iii) रद्दीकरण निपर (Cancellation Nipper)
(iv) लगेज निपर (Luggage Nipper)

निपर की उपयोगिता निम्नलिखित है :—

(i) **गेट निपर** (Gate Nipper) – इसे TC द्वारा व्यवहार में लाया जाता हैं । इस प्रकार के निपर के सहायता से टिकट पर 'V' आकार में काट दिया जाता है । जिससे पता चलता है कि टिकट का जाँच प्रवेश द्वारा पर हो चुका है ।

(ii) **चेकिंग निपर** (Checking Nipper) – इस प्रकार के निपर का प्रयोग चल टिकट परीक्षक (TTE) द्वारा गाड़ी में किया जाता है । इस निपर के द्वारा ∩ आकार मे टिकट पर काट दिया जाता है । इससे यह पता चलता है कि टिकट जाँच कर ली गई है। तथा इसका दुबारा प्रयोग या बेचने की कोशिश या संभावना नहीं होगी ।

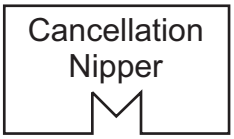

(iii) **रद्दीकरण रिपर** (Cancellation Nipper) – इस प्रकार का निपर निकासी द्वार पर प्रयोग किया जाता है । TC द्वारा सारे टिकट को जमा कर 'M' आकार में काट दिया जाता है । जिससे पता चलता है कि टिकट जाँच के बाद रद्द कर दिया गया है ।

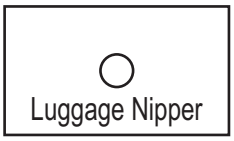

(iv) **लगेज निपर** (Luggage Nipper) – इस निपर का प्रयोग लगेज बुक करने वाले कर्मचारी द्वारा किया जाता है । तथा यात्री के टिकट पर 'O' आकार बना देते हैं जिससे पता चलता है कि इस टिकट पर लगेज बुक किया जा चुका है ।

(v) **इम्बोजिंग निपर** – इस प्रकार का निपर TC द्वारा प्रयोग किया जाता है । इस से पेपर टिकट और पास को रद्द किया जाता है ।

आरक्षित या अनारक्षित टिकट पर बुक लगेज पर वापसी
(Refund On Reserved / Unserved Ticket where Luggage booked)

जिस आरक्षित/अनारक्षित टिकट पर जब लगेज बुक किया जाता है उसके बाद यात्री द्वारा रां कर दी जाती है तथा टिकट को धन वापसी हेतू प्रस्तुत किया जाता है तो निम्न तरीके से वापसी की जाती है ।

(i) <u>जब Luggage गंतव्य के लिए भेजा जा चुका है</u> (When luggage despatched for destination)
इस अवस्था में जब यात्री द्वारा टिकट को वापसी हेतू प्रस्तुत किया जाता है तो उसको टिकट के आधार पर दिए गए Free Allowance यदि है तो वापस ले लिया जाता है तथा कुल वजन का Scale 'L' दर पर भाड़ा निकाल लेते हैं तथा और जो भाड़ा अधिक होता है उसे यात्री के यात्रा टिकट की रकम से काट लेते या नकद जमा करा लेते हैं ।

(ii) <u>जब यात्री का Luggage स्टेशन पर मौजूद है</u> (When luggage not despatched)
इस अवस्था में Luggage के वजन के आधार पर जो Wharfage बनता है उस रकम को काट लिया जाएगा तथा यहाँ पर Free time नहीं दिया जाता है ।

कम्प्युटरीकृत कोचिंग वापसी (Computerised Coaching Refund)

EDR – Exceptional Data Report.

आरक्षित (Reserved) टिकट की अवस्था में जब सामान्य नियम या समय के अन्तर्गत टिकट की वापसी नहीं हो पाती है तो वर्तमान समय में कम्प्युटरीकृत कोचिंग वापसी (EDR) के माध्यम से वापसी की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा लागू की गई है । जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है ।

(i) जब यात्री द्वारा यात्रा नहीं किया जाता है ।

(ii) TTE जो गाड़ी में चलते है वैसे यात्रियों का LIST बनाते हैं जो अपने आरक्षित सीट/बर्थ पर यात्रा नहीं किए तथा इस सीट/बर्थ को दूसरे को दिया गया उसका भी विवरण यदि है तो दिया जाता है ।

(iii) TTE द्वारा EDR के माध्यम से अन्य जानकारी भी उपलब्ध करायी जाती है जैसे AC Failure, Passenger not turn up etc.

(iv) EDR को तीन प्रति में बनाया जाता है तथा एक प्रति रिकार्ड के रूप में, दूसरी प्रति अगले TTE जिसको Charge दिया गया जहाँ पुराने TTE अपनी ड्यूटी Off करते हैं तथा तीसरी प्रति TTE जिस स्टेशन पर ड्यूटी ऑफ करते हैं वहाँ के Refund Supervisior को दी जाती है ।

(v) यह EDR की प्रति RS को गाड़ी पहुँचने के 30 मिनट के अन्दर दे दी जाती है ।

(vi) यदि EDR मिलने में अधिक विलम्ब हो रहा हो तो विभागीय अधिकारी को सूचना देनी चाहिए ।

(vii) EDR के माध्यम से Refund Supervisior द्वारा कम्प्यूटर में पूरा विवरण को डाल दिया जाता है ।

(ix) Refud करते समय यात्री को अपना परिचय पत्र को प्रस्तुत करना होता है जो यात्रा टिकट में दर्ज किया गया है।

(x) यदि किसी कारणवश वापसी संभव न हो तो यात्री को टिकट के बदले TDR दे दिया जाता है ।

कम्प्युटरीकृत आरक्षण व्यवस्था (Computerised System of Reservation)

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था भारतीय रेल में सर्वप्रथम सन् 1985 में IRCA भवन नई दिल्ली से प्रारम्भ हुआ । कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण करने का मूल उद्देश्य निम्न है :—

(i) मानवीय हस्तक्षेप कम करना ।

(ii) पारदर्शिता लाने हेतू ।

सर्वप्रथम इसे पांच क्षेत्र (Five Location) में बांटा गया जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई तथा सिकंदराबाद थे तथा टिकट हेतू आवश्यक होने पर अलग–अलग क्षेत्रों के काउंटर पर जाना पड़ता था । इस व्यवस्था को खत्म कर सन 1999 में एक काउंटर सिस्टम की व्यवस्था की अर्थात अब एक ही काउंटर से पूरे भारतीय रेल का टिकट प्राप्त किया जा सकता है ।

आरक्षण कार्यालय का कार्यावधि प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक का होता है । जिसे दो पालियों (Shift) में किया जाता है । जिसमें Reservation Clerk की 8 घंटे ड्यूटी होती है । जहाँ 6 घंटे काउंटर पर तथा 2 घंटे अन्य कार्य है । एक Shift के अन्दर कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट का अल्प विश्राम होता है । यहाँ पर रविवार को प्रातः 8 बजे से दिन के 2 बजे तक तथा राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी रविवार जैसा कार्य दिवस होता है ।

PRS के इन्चार्ज को मुख्य आरक्षण अधीक्षक उनके बाद आरक्षण अधीक्षक एवं ECRC होते हैं ।

इंटरनेट बुकिंग (Internet Booking)

(i) इसे I-Ticket भी कहते हैं ।

(ii) यह IRCTC तथा Indian Railway का एक उपक्रम है ।

(iii) Internet Booking के लिए यात्री के पास कम्प्युटर होना चाहिए तथा Internet से जुड़ा होना चहिए ।

(iv) Computer पर www.irctc.com.in के पते पर खोलने से या Indian Railway के website पर आने से आरक्षण हेतू फार्म नमूना आता है ।

(v) इस प्रकार बुक किए गए टिकट का पैसा E-Payment के माध्यम से देय होता है । जिसे आरक्षण स्वीकृति के समय भरना पड़ता है ।

(vi) यह दिल्ली को छोड़कर अन्य भागों के लिए यात्रा प्रारम्भ करने से 48 घंटे पूर्व बुक किया जाता है । दिल्ली हेतू यह समय 6 घंटा पूर्व है ।

(vii) टिकट को Currier द्वारा यात्री के पते पर पहुँचा दिया जाता है ।

(viii) यात्री IRCTC के भवन या जहाँ टिकट प्रिंट हुआ है उस कार्यालय से परिचय पत्र के आधार पर टिकट प्राप्त कर सकता है ।

(ix) Service Charge: SL & 2S – Rs. 80/- अन्य क्लास (श्रेणी) – Rs. 120/- के रूप में प्रति टिकट की दर से रकम भी देना पड़ता है ।

(x) टिकट की वापसी सामान्य नियम के अनुसार होती है ।

(xi) वापसी की रकम Credit Card में वापस हो जाती है जहाँ Currier सेवा की रकम पर कोई वापसी नहीं दी जाती है ।

यात्री सुविधाएँ (Passengers Amenities)

यात्री को आकर्षित करते हेतू तथा उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतू यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती है ।

यह सर्वप्रथम दो वर्गों में विभाजित था ।

(i) मूलभूत सुविधाएँ (Basic Amenities) (ii) अन्य सुविधाएँ (Addl. Amenities)

इसे वर्तमान में तीन वर्गों में बाँटा गया है ।

(i) न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ (MEA–Minimum Essential Amenities)

(ii) रेकोमेण्डेड सुविधाएँ (RA–Recommended Amenities)

(iii) डिजाइरेबल सुविधाएँ (DA–Desirable Amenities)

भारतीय रेल में स्टेशन को 6 वर्गों में बांटा गया है जहाँ उसके वर्ग के आधार पर सुविधाएँ प्रदान की जाती है या वैसी सुविधा के हकदार स्टेशन को सुविधा से पूर्ण किया जाता है । 6 वर्गों में बाँटने का आधार निम्न है ।

A_1 — उपनगरीय स्टेशन को छोडकर जिस स्टेशन की वार्षिक आय 60 करोड़ रूपये से अधिक है ।

A — उपनगरीय स्टेशन को छोडकर जिस स्टेशन की वार्षिक आय 8 करोड़ रूपये या इससे अधिक है ।

B — उपनगरीय स्टेशन को छोड़कर जिस स्टेशन की वार्षिक आय 4 करोड़ रूपये तथा 8 करोड़ रूपये के बीच है ।

C — सभी उपनगरीय स्टेशन वर्ग 'C' में आते हैं ।

D — उपनगरीय स्टेशन को छोड़कर जिस स्टेशन की वार्षिक आय 60 लाख से 4 करोड़ के बीच है ।

E — उपनगरीय स्टेशन को छोड़कर जिस स्टेशन का वार्षिक आय 60 लाख़ से कम हो ।

F — सभी हाल्ट तथा ब्लॉक हाल्ट स्टेशन शामिल है ।

न्यूनतम आवश्यक सुविधाएँ (Minimum Essential Amenities)

स्टेशन	टिकट खिड़की	पेशाब घर	शौचालय	पीने का पनी
A_1	15	12	12	12
A	10	10	10	12
B	6	6	6	12
C	4	4	2	6
D	4	4	4	6
E	2	1	1	1TAP/ 1 H Pump
F	1	—	—	1 H Pump

इसके अलावा भी यात्रियों को जो सुविधाएँ दी जाती है उसे निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है ।

(i) स्टेशन पर दी जाने वाली सुविधाएँ । (ii) चलती गाड़ी में दी जाने वाली सुविधाएँ ।

(iii) विविध सुविधाएँ

(i) स्टेशन पर दी जाने वाली सुविधा में निम्न हैं —

(क) स्टेशन आने के लिए रोड

(ख) साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार स्टैण्ड इत्यादि

(ग) बुकिंग/आरक्षण कार्यालय

(घ) पूछताछ/प्रतिक्षालय

(ङ) समय सारणी/टिकट दर सूची

(च) अमानती सामान घर/लॉकर्स

(छ) विश्रामालय/रिफ्रेशमेन्ट रूम (भोजनालय)

(झ) पुल/सब वे

(ञ) पेयजल/टी स्टाल/बुक स्टॉल/टच स्क्रीन/लावारिस सामान घर

(ट) बैठने हेतू बेंच/कुर्सी/लाइट/पंखे

(ठ) उद्घोषणा कक्ष

(ii) चलती गाड़ी में दी जाने वाली सुविधाएँ निम्न है —

(क) Bed Roll/एयर कंडीशनिंग

(ख) दर्पण/वाश बेसिन/पेयजल

(ग) लाइट/पंखा/शौचालय

(घ) खानपान की व्यवस्था

(ङ) आरक्षण की सुविधा (TTE/Train कण्डक्टर से)

(च) अलार्म चेन/सामान लॉक करने का हुक

(iii) विविध सुविधाओं में निम्न सुविधा आती है —

(क) IVRS - Interactive Voice Response System

(ख) सेन्ट्रेल Enquiry

(ग) CAS — सेन्ट्रल अनाउसिंग सिस्टम

(घ) PRS — कम्प्युटरीकृत आरक्षण प्रणाली

(ङ) इण्टरनेट आधारित शिकायत प्रणाली

(च) NTES – नेशनल ट्रेन इन्कवारी सिस्टम

(छ) इन्टरनेट पर रेलवे की वेब साइट

(ज) Rail Credit Card

रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति
(Railway Users Consultative Committee)

रेलवे में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रतिनिधित्व दिए जाने एवं सलाहाकर के रूप में अधिक अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से 1953 में एक रेलवे उपभोक्ता सलाहार समिति का गठन किया गया ।

रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होता है । इसमें लगभग 70 सदस्य होते हैं । इनकी नियुक्ति रेल मंत्री द्वारा की जाती है । यह उपभोक्ता समिति तीन स्तर पर काम करती है ।

(i) NRUCC — National Railway Users Consultative Council
राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद ।

(ii) ZRUCC — Zonal Railway Users Consultative Committee
क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति

(iii) DRUCC — Divisional Railway Users Consultative Committee
मंडलीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति

समिति के सदस्य निम्न प्रकार के होते हैं (NRUCC के लिए)

(i) भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के सचिव जैसे — भारी उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, स्टील एवं आयरन, Shiping and Transport इत्यादि

(ii) रेल मंत्रालय के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के सदस्य एवं अतिरिक्त सदस्य यातायात ।

(iii) संसद के 15 सदस्य — जिसमें 10 लोकसभा से तथा 5 राज्य सभा से

(iv) ZRUCC के एक या दो सदस्य

(v) दो या तीन प्रतिनिधि आर्थिक अनुसंधान संस्थान से ।

(vi) दो रेलवे से रिटायर्ड अधिकारी जिन्हें विशेष ज्ञान और अनुभव हो

(vii) गणमान्य व्यक्ति जो रेलवे समस्याओं में रूचि रखते हों ।

(viii) चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य ।

इसी प्रकार से ZRUCC तथा DRUCC के सदस्य भी होते हैं तथा उपरोक्त समिति का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित होता है :—

(i) ऐसे मामलें जो रेलवे सेवाओं एवं सुविधाओं से संबंधित है ।

(ii) ऐसे मामले जो समिति के कार्य क्षेत्र मे आते हैं ।

(iii) ऐसे सभी मामले जो रेलवे सेवाओं एवं सुविधाओं से संबंध रखते हैं ।

NRUCC, ZRUCC, DRUCC के सदस्यों को मिलने वाली सुवधिाएँ निम्न हैं :—

(i) सदस्यों को उनके आवास स्थल के नजदीक स्टेशन से Meeting स्थल के लिए Ist Class का पास दिया जाता है जो वापसी यात्रा के लिए भी होता है किन्तु वापसी यात्रा किसी अन्य स्टेशन से भी हो सकता है जो मूल दूरी से अधिक नहीं होगा ।

(ii) आवास स्थल से रेलवे स्टेशन जब 8 Km की दूरी से अधिक है तो 4 रूपये प्रति Km की दर से खर्च दिया जाता है ।

(iii) Meeting वाले नगर में उन्हें दैनिक भत्ता दिया जाता है ।

A Class नगर के लिए	—	Rs 300/- प्रति दिन
B Class नगर के लिए	—	Rs 250/- प्रति दिन
C Class नगर के लिए	—	Rs 200/- प्रति दिन

ZRUCC — इसके अध्यक्ष GM स्वयं होते हैं तथा उनके सचिव एवं कुछ अन्य अधिकारी जिन्हें GM नियुक्त करते हैं साधारणतः SDGM को सचिव बनाया जाता है तथा DRUCC के भी एक या दो सदस्य रहते हैं । इसके अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं ।

DRUCC — इसके अध्यक्ष DRM होते हैं एवं Sr. DCM इसके सचिव होते हैं तथा अन्य सदस्य भी होते हैं।